क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		◆ समय–समय पर अनुरोध पर व आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों / स्कूलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करना तथा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करना। यू –सैक द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाता है, जिसमे भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था निशुल्क की जाती है, यू –सैक द्वारा इसमें आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।	◆ राज्य में स्थित प्राइवेट / राजकीय / केन्द्रीय विश्वविद्यालयों / कॉलेज के मुख्यतः स्नातक व उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी	◆ संस्थानों / डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विभागाध्यक्ष, डीन द्वारा, यू–सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है तथा यू–सैक प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित कर अवगत कराता है तथा संबंधित कॉलेज / विद्यालय अपने विद्यार्थियों को विजिट हेतु ला सकते हैं।

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

राजकीय (थारू जनजातीय)
इंटर कॉलेज, खटीमा, ऊधमसिंह नगर

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	E-Content का विकास एवं प्रसारण।	ऑनलाईन शिक्षा प्रदाता कम्पनियों यथा (बायजूस, वेदांतु जैसे प्लेटफार्मों) से भी उच्चस्तर की ई–पाठ्य सामग्रियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विशयों में व्याख्यान निःशुल्क द्विभाषीय ऑफलाइन / ऑनलाइन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	प्रदेश के समस्त छात्र–छात्राए।	विद्यार्थी यूसर्क की वेबसाइट userc.in पर जाकर कुछ ई–सामग्रियों को देख सकते है। परन्तु पूरे कोर्स हेतु गूगल प्ले स्टोर से Vidya saar ऐप डाउनलोड कर अपना मो0 नं. पंजीकृत कर निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं तथा जहां इंटरनेट नहीं है, ऐसे विद्यालयों में यूसर्क द्वारा विद्यालय में एक डिवाइस प्रदान की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को पूरा कोर्स ऑफलाईन माध्यम से पढ़ाया जा सकता है।
2.	STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन।	प्रदेश के समस्त जनपदों के माध्यमिक एवं डिग्रीस्तर के विद्यार्थियों के विज्ञान प्रयोगात्मक स्तर के सुदढ़ीकरण तथा Hands-on-Activities हेतु विभिन्न विद्यालयो में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु प्रायोगिक विज्ञान हेतु अद्यतन प्रदेशभर में 41 स्टैम लैब स्थापित की जा चुकी है, जिसमें छात्र–छात्राएं विज्ञान संबंधी प्रयोग करते हैं।	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के साथ ही निकट क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय के छात्र– छात्राए।	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राएं स्कूल में स्थापित प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर सकते हैं तथा जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला न हो वह ऐसे नजदीकी विद्यालय से सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
3.	विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन।	प्रदेश मे विज्ञान शिक्षा एवं विज्ञान के अनुसंधानों द्वारा उनके लाभों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु छात्र–छात्राओं, अध्यापको तथा आमजन तक वैज्ञानिक चेतना का विकास एवं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कार्यक्रमो के आयोजन की सूचना का प्रसार विभिन्न सोशल मीडिया साइट के माध्यमो तथा यूसर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों (जोकि राज्य में वर्तमान में कुल 200 हैं।) व उच्च शिक्षा में कार्यरत यूसर्क नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता हैं।	समस्त छात्र छात्राए एवं आमजन।	आउटरीच कार्यक्रमों की कोई अवधि निर्धारित नहीं है कुछ कार्यक्रम एक दिवसीय, कुछ बहुदिवसीय होते है। प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम यू–सर्क द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसके उपरांत समस्त छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकती हैं। ऑफलाईन माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में आयोजन स्थल के आसपास के विद्यालयों के छात्र–छात्रायें तथा आमजन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसकी सूचना सम्बन्धित आयोजन स्थल संस्था अथवा यू–सर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों द्वारा दी जाती है।
4.	Experiential Learning के अन्तर्गत हैण्डस ऑन ट्रेनिंग तथा एस्पोजर विजिट।	प्रदेश के शोधार्थियों, प्राध्यापकों एव विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर निःशुल्क आवासीय One week Hands-on training (Certificate programme) प्रशिक्षणों का आयोजन	प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों (निजी और राजकीय दोनों) से स्नातक,	इसमें आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम छात्र–छात्राओं को अपने कॉलेज / विश्वविद्यालय से अग्रसारित कराकर गूगल फॉर्म के माध्यम से यू – सर्क में जमा कराते है। यू–सर्क द्वारा चयन

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों के UG/PG/Researchers/ Teachers द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन, भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	स्नातकोत्तर स्तर के छात्र–छात्राएं, शोधार्थी एवं प्राध्यापक।	प्रक्रिया (प्रशिक्षण विद्यार्थी सम्बन्धी वांछित विषय एवं योग्यता युक्त पूर्ण भरे आवेदनों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर चयन) के उपरांत चयनित छात्र–छात्राएं निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

विज्ञानधाम (यूकॉस्ट)

यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस - 2023 के अन्तर्गत 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, "उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा" पुस्तकों का विमोचन किया।

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (UCOST)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आंचलिक विज्ञान केंद्र।	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून में घूमने एवं प्रवेश हेतु आमजनमानस हेतु अधिकतम शुल्क रू0 110, पब्लिक स्कूलों हेतु ₹ 90 (छात्र संख्या 25 से अधिक) एवं सरकारी विद्यालय हेतु रू0 55 (छात्र संख्या 25 से अधिक) है। दिव्यांगजन / सैनिक जो कि वर्दी में हो, हेतु निःशुल्क एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में निःशुल्क व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। स्कूली छात्र–छात्राओं हेतु कैन्टीन की व्यवस्था है। केन्द्र के अंदर कई वैज्ञानिक गतिविधियों / प्रदर्शिनी / फोटोग्राफ्स को डिजिटल माध्यम से दर्शाया गया हैं, ताकि आम व्यक्ति भी विज्ञान को आसानी से समझ सके।	राज्य और बाहरी राज्यों के सभी आगंतुक।	विद्यार्थी आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून की स्थापना, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की गयी है, जो कि 2016 से क्रियाशील है। विज्ञान और विज्ञान आधारित गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्र और अन्य लोग न्यूनतम निर्धारित शुल्क देकर केंद्र का भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की ईमेल rscdehradun@gmail.com पर अग्रिम बुकिंग कर सकते है।
2.	आर्टिफिशिल इंटेलीजेन्स।	यूकॉस्ट, आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा इंटेल के सहयोग से एआई फॉर यूथ के तहत एआई स्किल्स लैब की स्थापना की गई है। जिसमें राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी एआई कोडिंग कैंप आयोजित कर, प्रयोग कर सकते हैं।	कक्षा 9 से 12 तक के छात्र / छात्राएं (राजकीय / निजी समस्त स्कूलों के)	शिविर और प्रदर्शन के लिए स्कूल अपना पंजीकरण कराएंगे। ए.आई. जागरूकता व्याख्यान के लिए पंजीकरण एआई पंजीकरण फॉर्म भरकर और ई–मेल यानी rscdehradoon@gmail.com और rscdoonai@gmail.com पर सूचित करके किया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म के अलावा कोई अलग दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
3.	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस।	राज्यभर के बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान आधारित शोध परियोजना को प्रदर्शित करने एवं वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का विशेष अवसर प्रदान करना। विजेता छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्यभर के सरकारी / गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा छः से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएं।	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया जाता है। बच्चों का आवेदन सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा करवाया जाता है। आवेदन के दौरान विद्यार्थियों का फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, एवं बैंक खाता की आवश्यकता होती है। ब्लॉक स्तर पर कक्षा छः से बारहवीं तक के सभी छात्र एवं छात्राऐं प्रतिभाग कर सकते हैं तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से चयनित छात्र–छात्राए क्रमशः जनपद एवं राज्य स्तर पर प्रतिभाग करते हैं एवं अंत में राज्य से चयनित छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रतियोगिता का कोई भी सिलेबस नहीं होता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	शोध अनुसंधान एवं विकास।	राज्य हित में विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु शोध अनुसंधान को बढाने के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्यभर के सरकारी / गैर सरकारी महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों / शोधसंस्थान के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग / तकनीकी संस्थान / शोधार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।	वैज्ञानिक / शोधार्थी।	प्रस्ताव परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रेशित करने के उपरान्त परिशद स्तर पर गठित परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति की अनुशंसा पर। आवश्यक दस्तावेज–प्रस्ताव संस्था (विश्वविद्यालय, कालेज) के अध्यक्ष से अग्रसारित करना जरूरी है।
5.	यात्रा अनुदान।	शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक कार्यशालाओं आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये परिषद द्वारा यात्रा अनुदान भी दिया जाता है। यात्रा का आधा खर्च (अधिकतम धनराशि ₹ 25,000) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को दिये जाने की व्यवस्था है।	राज्य के शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रारूप (परिषद की वेबसाईट https://ucost.uk.gov.in/ पर उपलब्ध) के अनुसार देना होगा एवं विभागाध्यक्ष से अग्रसारित भी कराना होगा।

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**कौशल विकास कार्यक्रमः–** **1. पादप उत्तक संर्वधन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** **2. हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।** **3. पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जॉच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।** **4. आण्विक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।** **5. हिमालयी वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।**	जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौशल विकास के अन्तर्गत स्वरोजगार को बढावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि स्नातक /स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 30/45 से लेकर 90 दिन और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 180 दिन (शोध प्रबंध कार्यक्रम–डिजरटेशन) है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, चयनित छात्र, परिषद की आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपने शोध व प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्लांट टिशू कल्चर, आणविक जीव विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, हाइड्रोपोनिक्स और मृदा रहित कृषिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित लाभार्थी अपना व्यवसाय/स्वरोजगार/ कृषि कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आण्विक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान, बीटेक बायोटेक्नोलोजी इत्यादि विषय से स्नातक/ परास्नातक स्तर के विद्यार्थी, शोधार्थी एवं किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	(शोध प्रबंध कार्यक्रम–डिजरटेशन) प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से जून तक संचालित होता है जबकि 30/45 से लेकर 90 दिन का प्रशिक्षण छात्र/छात्राएं, शोधार्थी अपने अनुकूल समय व सुविधानुसार वर्ष में कभी भी कर सकते हैं – 35/45 से 90 दिन के प्रशिक्षण के लिए आवेदन अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.ucb.ac.in से आवेदन पत्र व अन्य दिशा–निर्देश डाउनलोड कर व विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी या साफ्ट कापी) को सक्षम प्राधिकारी/प्रिंसिपल/एचओडी के संस्तुति उपरांत परिषद के पते पर भेज सकते हैं। मेरिट के आधार पर चयन उपरांत सम्बंधित क्षेत्र/प्रयोगशाला में छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि **छह माह के प्रशिक्षण (शोध प्रबंध कार्यक्रम–डिजरटेशन)** के लिए परिषद अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है और आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मेरिट के आधार पर अधिकतम छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ आधार कार्ड, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक व अन्य सभी समतुल्य डिग्रियों के प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र, स्थाई निवास व जाति–प्रमाण (यदि उपयुक्त हो तो) दस्तावेजों की छाया–प्रति की आवश्यकता होती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	**जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।**	प्रदेश के युवाओं को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप प्रारम्भ करने हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी देना एवं आवश्यकतानुरूप मार्गदर्शन प्रदान करना।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आण्विक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान आदि विशय से स्नातक / परास्नातक एवं पी0एच0डी0 स्तर के विद्यार्थी एवं शोधार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	परिषद् द्वारा उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना बेवसाइट के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व संबन्धित संस्थानों को ई–मेल अथवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इत्यादि के माध्यम से अवगत कराया जाता है। आवेदन पत्र गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं।
3.	**कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठी।**	परिषद् कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों को विषय–विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देकर जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण एवं पशुपालन में आ रही समस्याओं का निराकरण करती है। साथ ही हाईड्रोपोनिक, मृदा रहित खेती एवं कीवीफल के कृषिकरण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान करके उनको स्वरोजगार के साथ उनके आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत् है।	युवा, किसान, स्वयं सहायता समूह एवं पशुपालक।	परिषद् द्वारा समय–समय पर ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिभाग हेतु विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, युवाओं एवं कृषि से जुड़े छात्र–छात्राओं को प्रकाशित विवरणिका, लिफ्लेट एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से अवगत कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया जाता है, तदोपरान्त प्रशिक्षण / संगोष्ठी सम्पादित की जाती है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जे के टायर लिमिटेड कम्पनी तथा यस बैंक द्वारा सीएसआर के तहत लगाये गये हैल्थ एटीएम का लोकार्पण किया।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ईजा–बोई शगुन योजना।	जच्चा–बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रूकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को रू0 2000 / – प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।	प्रसूता महिला उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव किया हो।	प्रसूता महिला का सरकारी अस्पताल में प्रसव होने के उपरांत संबंधित चिकित्सालय द्वारा प्रसूता महिला का आधार कार्ड, बैंक खाता मांगा जाता है तथा चिकित्सालय द्वारा महिला को ₹ 2000 / – की धनराशि भुगतान करने की कार्यवाही की जाती है, जो बाद में महिला के खाते में आती है।
2.	कैंसर डे केयर सेंटर।	कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने और उपचार शुरू करने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में सामान्य कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट और सीए सर्विक्स) की निशुल्क जांच की जा रही है।	सभी कैंसर रोगी।	कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी, दर्द प्रबंधन और अन्य डे केयर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 13 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अतिथि तक उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जिलों में कैंसर डे केयर यूनिट की स्थापना की गई है। संबंधित चिकित्सालय में जाकर उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
3.	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।	सभी जनपदों में विशेषतः आपदाकाल में मार्ग बाधाओं के दृष्टिगत चिन्हित क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव तिथि से ही 15 दिन पूर्व जिला चिकित्सालय के नजदीक Birth Waiting Room के रूप में संचालित "One Stop Centre" (महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं) में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण के समन्वय से की जा रही है, जिससे आपदाकाल में प्रसव की स्थिति होने पर प्रसूता को निकटवर्ती चिकित्सालय में भर्ती कराकर संस्थागत प्रसव की सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। प्रत्येक जनपद में एक "One Stop Centre" स्थापित है।	सभी गर्भवती महिलाएं।	नजदीकी आशा / आंगनबाड़ी / एएनएम से सम्पर्क कर, उक्त सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
4.	चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया। (दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु	दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु तथा विभिन्न समाज कल्याण की पेंशन, छात्रवृति, सेवायोजन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति।	दिव्यांग व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने हेतु सर्वप्रथम अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में बुधवार को जाना पडता है, वहां पर पंजीकरण फार्म न्यूनतम शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है। उसके उपरांत जिस अंग से दिव्यांग हो, संबंधित डाक्टर एवं

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				अन्य डाक्टरों को दिखाना पडता है। दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेगा। प्रत्येक बुधवार को जिला चिकित्सालयों में सामान्यतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होते हैं तथा उनके द्वारा, डाक्टरों की जांच आख्या के आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं संबंधित दिव्यांग को उपलब्ध कराया जाता है। यदि तत्समय प्राप्त न हो तो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
5.	**दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी. कार्ड) बनाने की प्रक्रिया।**	दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की पेंशन, छात्रवृति तथा आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा यू.डी.आई.डी. कार्ड को अनिवार्य किया गया है।	देश के समस्त ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जिनका दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र बना हो, पात्र होंगे।	दिव्यांग व्यक्ति को यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने हेतु स्वयं https://www.swavlambancard.gov.in/ पर आवेदन कर सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत यू.डी.आई.डी. कार्ड जांच हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ऑनलाइन आता है उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा जांच में सही पाये जाने पर भारत सरकार को ऑनलाइन भेजा जाता है तथा भारत सरकार के स्तर से यह कार्ड जारी कर संबंधित व्यक्ति के पते पर भेजा जाता है। व्यक्ति इस कार्ड को उक्त पोर्टल से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रम

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। (JSSK)**	निःशुल्क प्रसव की सुविधा, जिसके अन्तर्गत नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी, दवाईयाँ एवं अन्य जॉचे (रक्त, पेशाब जॉच तथा अल्ट्रासोनोग्राफी आदि) ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर) दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा (सामान्य प्रसव में 3 दिन तथा सिजेरियन प्रसव में 7 दिन तक) तथा घर से चिकित्सालय तक जाने की सुविधा, यदि अस्पताल द्वारा अन्यत्र रैफर किया जाता है तो उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। बीमार नवजात शिशु के लिए (जन्म के बाद एक वर्ष तक) निःशुल्क उपचार, दवाईयाँ जॉचे तथा निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर)घर से स्वास्थ्य संस्थान जाने, रैफरल के समय एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा।	गभर्वती महिलाओं के लिए: सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव पूर्व (ANC)/ प्रसवोरांत (PNC) जॉच कराने वाली राज्य की सभी गभर्वती महिलाओं, नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) को यह सुविधा दी जाती है।	गभर्वती महिला (नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) का किसी भी सरकारी चिकित्सालय मे पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया एवं दस्तावेजः– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गभर्वती महिलाओं के अलग से पंजीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रदेश की किसी भी गर्भवती महिला को गर्भधारण करने के उपरांत प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेवा प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओ का RCH पोर्टल https://rch.nhm.gov. in/RCH/ पर पंजीकरण आशा/एएनएम/जीएनएम द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा RCH ID एवं MCP Card ANM कार्यकत्री द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का सम्पूर्ण विवरण होता है।
2.	**जननी सुरक्षा योजना। (JSY)**	गर्भवती महिलाओं को राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र की महिला को रू0–1000 एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला को रू0 –1400 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।	गभर्वती महिलाएं।	सरकारी चिकित्सालयों मे पंजीकरण करवा कर प्रसव कराने पर प्रसवोरांत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। **पंजीकरण की प्रक्रियाः**– आशा कार्यकत्री के माध्यम से अथवा आशा कार्यकत्री न होने की दशा में गर्भवती महिलाएं स्वयं भी अपना पंजीकरण प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में करवा सकती है, जिसके लिए गर्भवती महिला का बैंक खाता, आधार संख्या, मोबाईल नंबर, आदि देना होता है। प्रसव करवाने के उपरांत लगभग एक माह के भीतर धनराशि का भुगतान महिला के खाते में हो जाता है।
3.	**प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। (PMSMA)**	सरकारी चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओ की प्रसव पूर्व जांच के दौरान ANC से सम्बन्धित समस्त जांचें एवं Ultrasound की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है।	गभर्वती महिलाएं।	गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन पंजीकरण करवाने पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। पंजीकरण संबंधित चिकित्सालय के एएनएम/ आशा/जीएनएम द्वारा किया जाता है तथा पंजीकरण हेतु महिला का आधार कार्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है।

<table>
<tr><th>क्र</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता / लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रतिरक्षण कार्यक्रम</td><td>कई जानलेवा बीमारियों से शिशुओं के बचाव हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के अन्तर्गत निःशुल्क टीकाकरण निम्नवत निर्धारित अवधि में किया जाता है:—
<table>
<tr><th colspan="3">National Immunization Schedule</th></tr>
<tr><th>Vaccine</th><th>Dose</th><th>Vaccination Age</th></tr>
<tr><td>BCG</td><td>1 dose</td><td>At birth, Upto one year</td></tr>
<tr><td>OPV</td><td>5 doses</td><td>At birth, 6 week,10 week,14 week and 16-23 months</td></tr>
<tr><td>FIPV</td><td>3 doses</td><td>6 week,14 week, & 9 month</td></tr>
<tr><td>Hepatitis-B</td><td>1 dose</td><td>At birth</td></tr>
<tr><td>Pentavalent</td><td>3 doses</td><td>6 week,10 week,14 week</td></tr>
<tr><td>RVV</td><td>3 doses</td><td>6 week,10 week,14 week</td></tr>
<tr><td>PCV</td><td>3 doses</td><td>6 week,10 week,14 week</td></tr>
<tr><td>MR</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-23 month</td></tr>
<tr><td>JE(In endemic districts only)</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-23 month</td></tr>
<tr><td>DPT</td><td>2 doses</td><td>16-23 month & 5-6 year</td></tr>
<tr><td>Td</td><td>2 doses</td><td>10 year, 16 year</td></tr>
</table></td><td>0—16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे जिनकों टीकाकरण की आवश्यकता हो।</td><td>टीकाकरण की सुविधा समस्त सामु.स्वा. केन्द्र, प्रा0स्वा0 केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र, नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है जिसका लाभ 0—16 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे पंजीकरण करवा कर प्राप्त कर सकते है। पंजीकरण हेतु बच्चे को संबंधित राजकीय चिकित्सालयों में ले जाना पडता है तथा बच्चे का जन्म संबंधी प्रमाण / एएनएम द्वारा जारी कार्ड की आवश्यकता होती है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0—5 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू. एवं एन.आर.सी. के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आशा / ऑगनबाडी कार्यकत्रियों / ANM द्वारा Vitamin A, IFA Surup 0-5 Month तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है।</td><td>0—5 वर्ष तक के बच्चे</td><td>राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू. एवं एन.बी.सी.सी. संचालित किये जा रहे है। इन केन्द्रों में पंजीकरण कराकर सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक।</td><td>किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक में निःशुल्क परामर्श प्रदान की जाती है।</td><td>राज्य के समस्त किशोर। (10 से 19 वर्ष)</td><td>राज्य के 13 जिला चिकित्सालयों, 02 उप जिला चिकित्सालयों तथा 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण करवाने पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है।</td></tr>
</table>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
7.	साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण।	राज्य के सभी राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र / छात्राओं को प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण का कार्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है।	छात्र या छात्रा।	समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्रप्त विद्यालयों में पंजीकृत छात्र–छात्राओं को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
8.	सैनिटरी नैपकीन वितरण।	किशोरियों को प्रजनन तंत्र संक्रमण के बचाव एवं माहवारी स्वच्छता की आदत विकसित करने हेतु वर्तमान में ₹ 6/– भुगतान करने पर सैनिटरी नैपकीन आशा द्वारा प्रदान किया जाता है।	राज्य की 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियां।	सैनिटरी नैपकीन सभी आशाओं के पास उपलब्ध होते हैं।
9.	निःशुल्क जांच योजना।	जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क जांचें प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत 266 जॉचें निःशुल्क की जाती है।	राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण करने के उपरांत कोई भी निःशुल्क जांच करवा सकता है।	राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब उपलब्ध है। इन चिकित्सा इकाईयों में निर्धारित समय, जो कि उस चिकित्सालय के CMS/Hospital Incharge द्वारा निर्धारित किया जाता है, के पश्चात् आने वाले रोगियों की अनुबन्धित फर्म के कार्मिक द्वारा निःशुल्क जांचें की जाती है।
10.	108, आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा।	किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मरीजों को चिकित्सालय तक पहुँचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाना । इस सेवा का लाभ 272 एम्बुलेन्सों के माध्यम से राज्य वासियों को दिया जा रहा है।	दुर्घटना के पीडित व्यक्ति एवं आपातकालीन सेवा हेतु।	108 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
11.	खुशियों की सवारी सेवा।	गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरान्त नवजात शिशु सहित निशुल्क चिकित्सालय से घर तक पहुचाना, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड हेतु घर से चिकित्सालय तक आने –जाने की निःशुल्क सुविधा 128 वाहनों के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है।	गर्भवती महिलाऐं एवं 0 से 01 साल तक के नवजात शिशु हेतु।	102 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
12.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम।	राज्य में निम्नलिखित 14 डायलिसिस केंद्रों पर सभी को निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 1. बेस अस्पताल, अल्मोडा, 2. जिला अस्पताल, बागेश्वर, 3. ट्रामा सेंटर कर्णप्रयाग, चमोली, 4. जिला अस्पताल, चंपावत, 5. संयुक्त अस्पताल, रुडकी, हरिद्वार, 6. जी0बी0पंत अस्पताल, नैनीताल, 7. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, पौडी गढवाल, 8. जिला अस्पताल, पिथौरागढ,	बी.पी.एल.कार्डधारक रोगी, गोल्डन कार्डधारक रोगी एवं अन्य रोगी।	जनपद के निकटतम डायलिसिस केंद्र में भ्रमण कर स्वयं को पी.एम.एन.डी.पी. पोर्टल पर रजिस्टर करवाने पर रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते है। रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु रोगी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाईल, जिस पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा, की आवश्यकता पडती है। रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते हैं। राज्य की 19 चिकित्सा इकाईयों,

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		9. जिला अस्पताल, रुद्रप्रयाग, 10. उप जिला अस्पताल, नरेंद्रनगर, टिहरी गढवाल, 11. उप जिला अस्पताल, खटीमा, उधम सिंह नगर, 12. जिला अस्पताल, उत्तरकाशी, 13. जिला अस्पताल, पौडी गढवाल, 14. दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। राज्य के 05 डायलिसिस केंद्रों ;कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून, मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौडी गढवाल, जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य के आयुश्मान कार्डधारक रोगियों, राज्य खाद्य सुरक्षा योजाना के बी.पी.एल. कार्ड धारक रोगियों को निःशुल्क एवं अन्य रोगियों को निम्नलिखित रियायती दरों पर डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ₹ 1028 / – प्रति डायलिसिस सेशन की दर से मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौडी गढवाल एवं जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर डायलिसिस केंद्रों में। ₹ 1290 / – प्रति डायलिसिस सेशन की दर से कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून एवं बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल डायलिसिस केंद्रों में।		जो कॉलम 3 में अंकित हैं, में रोगियों को डायलिसिस उपचार की सुविधा वर्तमान में प्रदान की जाती है।
13.	**निःशुल्क रक्त।**	योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती समस्त रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है।	राजकीय चिकित्सालय में भर्ती समस्त रोगी जिन्हे रक्त की आवश्यकता हों।	रक्त की आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती रोगी को राजकीय रक्तकोशों द्वारा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की कुल 23 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों को निशुःल्क रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 1. जिला चिकित्सालय, अल्मोडा, 2. उप–जिला चिकित्सालय, रानीखेत, 3. जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, 4. जिला चिकित्सालय, चमोली 5. जिला चिकित्सालय, चम्पावत, 6. दून चिकित्सालय, 7. राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, 8. उप–जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, 9. जिला चिकित्सालय हरिद्वार, 10.उप–जिला चिकित्सालय, रूडकी, 11. जिला चिकित्सालय, नैनीताल, 12. बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, 13. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, 14. जिला चिकित्सालय, पौडी,15. बेस चिकित्सालय, कोटद्वार,16. श्रीनगर

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				राजकीय मेडिकल कॉलेज, 17. जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़, 18. जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग, 19.जिला चिकित्सालय, टिहरी, 20. जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर, 21. जिला चिकित्सालय, काशीपुर, 22. उप–जिला चिकित्सालय, खटीमा, 23. जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी
14.	**हीमोग्लोबिनो–पैथी।**	इस योजना के अन्तर्गत थैलीसीमिया से ग्रसित रोगी को निःशुल्क ब्लड फिल्टर, चिलेटर तथा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। हीमोफीलिया से ग्रसित को निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर (जीवन रक्षक औषधि) उपलब्ध कराया जाता है।	थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रसित समस्त रोगी।	थैलीसीमिया से ग्रसित रोगी उपजिला चिकित्सालय रूडकी, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा, बेस चिकित्सालय नैनीताल, जिला चिकित्सालय रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर में स्थापित DEIC केन्द्र में जाकर पंजीकरण कराना पड़ता है पंजीकरण हेतु रोगी का आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं चिकित्सक से परामर्श कर उक्त रोग की पुष्टि संबंधी प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसके उपरांत निःशुल्क ब्लड फिल्टर, चिलेटर तथा रक्त की सुविधा प्राप्त कर सकते है। हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी को चिकित्सक के निदान पर्चे और आधार कार्ड के माध्यम से हीमोफीलिया सोसाईटी मे पंजीकरण कराने के उपरान्त अपनी निकटतम् राजकीय चिकित्सा ईकाई से निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर प्राप्त कर सकते है। **रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया**– हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी 104 हैल्पलाईन (निःशुल्क) अथवा हीमोफीलिया सोसाईटी से संपर्क करके अपना पंजीकरण करा सकते है।
15.	**एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन।**	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन 24x7x365 दिन के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सलाह / जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	आम जन मानस।	उक्त हेतु 104 नम्बर पर कॉलकर सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16.	**राष्ट्रीय क्षःय उन्मूलन कार्यक्रम।**	कार्यक्रम अर्न्तगत क्षःय रोग की जाँच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है। सभी क्षःय रोगियों को उपचार अवधि तक निक्षय पोषण योजना के अर्न्तगत पोषाहार भत्ता ₹– 500 /– प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	राज्य में उपचार ले रहे क्षःय रोग से ग्रसित व्यक्ति।	राष्ट्रीय क्षःय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत सम्बधित क्षेत्र के सीनियर ट्रीटमेन्ट सुपरवाइजर /लैब टेक्नीशियन द्वारा क्षःय रोग से ग्रसित व्यक्तियों को सम्बधित स्वास्थ्य केन्द्र में निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण हेतु रोगी का नाम, पता मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आवश्यक होता है।
17.	**राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम। (NTCP)**	तम्बाकू का सेवन कर रहें व्यक्तियों को जिला चिकित्सालयों में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों में तैनात काउंसलर के द्वारा उचित परामर्श व उपचार प्रदान कर तम्बाकू की लत से छुटकारा मिलता है।	समस्त आयु वर्ग के व्यक्ति।	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में तैनात काउन्सलर से संम्पर्क कर पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				वर्तमान में जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के समस्त 12 जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अन्तर्गत काउंसलर तैनात है।
18.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। (NPCB)	समस्त जिला चिकित्सालयों व अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से नेत्र रोग से सम्बन्धित मरीजों की स्क्रीनिंग कर उपचार प्रदान किया जाता है। वरिश्ठ नागरिकों व स्कूली बच्चों को राजकीय चिकित्सा इकाई के माध्यम से स्क्रीनिंग कर निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त व्यक्ति।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त रोगियों द्वारा नजदीकी चिकित्सा इकाई में पंजीकरण कराकर तैनात दृष्टिमितिज्ञ के माध्यम से स्क्रीनिंग के पश्चात उच्च चिकित्सा इकाई में उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
19.	राष्ट्रीय पैलियटिव केयर कार्यक्रम (NPPC)	राज्य के जिला चिकित्सालयों में स्थापित पैलियटिव वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से लाइलाज रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है। पैलियटिव वार्ड में निम्न बिमारियों से ग्रसित लाइलाज रोगों से पीड़ित मरीजों का दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है:– Cancer, Heart Disease, Lung Disease, Kidney Failure, Chronic LiverDisease, Rheumatoid Arthritis, Neurological Diseases, Congenital Anomalies, Dementia, HIV AIDS, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) इत्यादि अथवा कोई भी Chronic Diseases जिसके कारण मरीज Bedridden हों या सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हों या जीवन के अन्तिम दौर से गुजर रहा हो।	लाइलाज रोगों से पीड़ित समस्त व्यक्ति।	राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है। जनपद के 09 जिला चिकित्सालयों में (नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत, बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, पौडी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली) पैलियटिव वार्ड क्रियाशील हैं तथा 04 जनपदों– पिथौरागढ, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी में वार्ड का स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
20.	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। (NPHCE)	जिरेयटिक वार्ड का मुख्य उददेश्य है कि यदि कोई बीमार वरिष्ठ नागरिक, हॉस्पिटल में भर्ती होने हेतु आता है तो उसको जिरेयटिक वार्ड में बैड उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से निशुल्क फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है।	समस्त 60 वर्श से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति।	राज्य के समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 10 बैडेड स्थापित जिरेयटिक वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों / स्टॉफ नर्सों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जाती है। राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
		राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं		
1.	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)	उत्तराखण्ड प्रदेश में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितम्बर 2018 एवं अटल आयुष्मान 25 दिसम्बर 2019 से लागू है। बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0 5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवार का उत्तराखण्ड में राशन कार्ड के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर।	किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्रों / यूटीआई केन्द्रों / योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में तैनात आरोग्य मित्रों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड आदि के सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				पात्र लाभार्थी ऑनलाईन आयुष्मान कार्ड तैयार करने हेतु https://beneficiary.nha.gov.in/पर अपना पंजीकरण कर सकता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं आयुष्मान योजना से संबंधित समस्त अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155368 (राज्य में) तथा 1800–180–5368 (राज्य के बाहर) पर कॉल करें अथवा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट https://sha.uk.gov.in/ पर लॉगिन करें।
2.	राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना। **Golden Card**	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों / पेंशनरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उददेश्य से राजकीय कार्मिकों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है। जिसमें निर्धारित चिकित्सा उपचार निशुल्क है	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों / पेंशनर, जिनके द्वारा गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं एवं प्रतिमाह धनराशि जमा करते हैं।	राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों / पेंशनरों उनके परिवार के सदस्यों एवं स्वायत्तशासी निकाय, निगमों प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों का गोल्डन कार्ड, जन सेवा केन्द्र / यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया / चिन्हित चिकित्सालय में बनाया जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा वही होगी जो उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 में उल्लिखित है। आश्रित की आयसीमा– आश्रित की मासिक आय की सीमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुरूप निर्धारित होगी। **नोट** – विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की जायेगी।
		राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं		
1.	**मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया।**	शासनादेश संख्या–773/XXVIII-4-2019-101/2009, दिनांक 17.09.2019 के सुसंगत प्राविधानानुसार संस्थान में मानसिक रोगी को आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।	संस्थान में देश के समस्त कोने / क्षेत्र से आने वाले मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है।	मानसिक रोगी को संस्थान में वाहय रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) अथवा आकस्मिक विभाग में मनोरोग विशेष / चिकित्सक द्वारा निरीक्षण / परीक्षण के उपरान्त की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है। सामान्यता भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ उसका नामित प्रतिनिधि / पारिवारिक सदस्य / तीमारदार की आवश्यकता होती है। रोगी (निराश्रित को छोड़कर) व पारिवारिक सदस्य / तीमारदार की पहचान आई.डी. फोटो व दूरभाष नं० सहित संस्थान में जमा किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल/डेण्टल/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण :-

1. मेडिकल

स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम.बी.बी.एस.
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 ½ वर्ष (4 ½ वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेट्री इर्न्टनशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट यू.जी. प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता वर्तमान में संचालित संस्थान	भारत सरकार/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार **राजकीय मेडिकल कॉलेज :-** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। 4. सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :-** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, देहरादून। 2. श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, साईसेज, देहरादून। 3. गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलजों हेतु** 85% राज्य कोटा (01 सीट सेन्ट्रल पूल कोटा एवं 01 सीट कश्मीरी विस्थापितों हेतु आरक्षित) 15% केन्द्रीय कोटा राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार।
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :-** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु :- ₹ 50,000/- (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :- ₹ 1.45 लाख /- (प्रतिवर्ष) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर गढ़वाल एवं अल्मोड़ा) में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा एच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार।

आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** 15% केन्द्रीय कोटे हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉउन्सिल कमेटी द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। 85 % राज्य कोटे हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। सेन्ट्रल पूल कोटे की सीट पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा सीट आवंटन किया जाता है। **राज्य स्थित निजी विष्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु)	हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
	परास्नातक पाठ्यकम
पाठ्यक्रम का नाम	एम.डी. / एम.एस., पोस्ट डिप्लोमा डी.एन.बी., पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी., पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	• एम.डी. / एम.एस. – (03 वर्ष) • पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा – (02 वर्ष) • पोस्ट डिप्लोमा डी.एन.बी. – (02 वर्ष) • पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. – (03 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट पी.जी. प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज, देहरादून। 2. श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, साईसेज, देहरादून।

सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलजों हेतु**
	• एम.डी./एम.एस. **(50% राज्य कोटा तथा 50% केन्द्रीय कोटा)** • पोस्ट डिप्लोमा डी.एन.बी. **(50% राज्य कोटा तथा 50% केन्द्रीय कोटा)** • पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. **(50% राज्य कोटा तथा 50% केन्द्रीय कोटा)** • पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा **(50% राज्य कोटा तथा 50% केन्द्रीय कोटा)** **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0डी0/एम0एस0 (क्लीनिकल विषयों) हेतु :–** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु :– ₹ 60,000/– (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :– ₹ 5 लाख/– (प्रतिवर्ष) **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम.डी./एम.एस. (नॉन–क्लीनिकल विशयों) हेतु** :– ₹ 01 लाख/– (प्रतिवर्ष) **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यकमों हेतु** :– भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (बॉण्ड अनिवार्य) राजकीय मेडिकल कॉलेजों में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा मात्र एम.डी./एम.एस. (क्लीनिकल विषयों) में ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलजों हेतु** 1. **एम.डी./एम.एस. हेतु** **50% केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉउन्सिल कमेटी द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। **50% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। 2. **पोस्ट डिप्लोमा डी.एन.बी. /पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी./पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा** **50% केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। **50% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।

सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्था (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)	1. **एम.डी. / एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु** हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून 2. **पोस्ट डिप्लोमा डी.एन.बी. / पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. / पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु** आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई0डी0	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011, Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com **आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।** मेडिकल एन्कलेव, अन्सारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110029, Website:- www.natboard.edu.in

2. **डेण्टल पाठ्यक्रम :**

	स्नातक पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम का नाम	बी0डी0एस0
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 वर्ष (4 वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेट्री इर्न्टनशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट यू.जी.** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**निजी डेन्टल संस्थानः–** 1. सीमा डेण्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश। 2. उत्तराचंल डेण्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** – 50% राज्य कोटा तथा 50% प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क।
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
	परास्नातक पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम का नाम	एम.डी.एस.
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम अवधि	एम.डी.एस. – 03 वर्ष
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट एम.डी.एस. पी.जी.** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटा तथा 50% प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई.डी. **हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011, Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

3. नर्सिंग पाठ्यक्रम :–

पाठ्यक्रम अवधि	ए.एन.एम. (डिप्लोमा), जी.एन.एम. (डिप्लोमा), बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग,
नियामक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	ए.एन.एम. (डिप्लोमा) – 02 वर्ष जी.एन.एम. (डिप्लोमा) – 03 वर्ष 06 माह बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग – 04 वर्ष * पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग– 02 वर्ष
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :–** 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :–** 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वंय के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।

शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु** ए.एन.एम. (डिप्लोमा) – ₹ 4427 / – प्रति वर्ष जी.एन.एम. (डिप्लोमा) – ₹ 6713 / – प्रति वर्ष बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग – ₹ 11813 / – प्रति वर्ष पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग– ₹ 11813 / – प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु** ए.एन.एम. (डिप्लोमा) – ₹ 41800 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं ₹ 52800 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) जी.एन.एम. (डिप्लोमा) – ₹ 44000 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं ₹ 55000 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग – ₹ 61600 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं ₹ 72600 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग– ₹ 61600 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं ₹ 72600 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 50% राज्य कोटा तथा 50% प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब.उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य कैन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्था	हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून / स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

नोटः– * बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा एवं कॉउन्सिलिंग समय–समय पर भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है।

	परास्नातक पाठ्यकम
पाठ्यक्रम का नाम	एम.एस.–सी. नर्सिंग, एन.पी.सी.सी.
नियामक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम.एस.सी. नर्सिंग (02 वर्ष), एन.पी.सी.सी. (02 वर्ष)

प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वंय के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।
शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु**–एम.ए.–सी. नर्सिंग– ₹ 39175/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु**–एम.एस. –सी. नर्सिंग – ₹ 70000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं ₹ 75000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50 प्रतिशत राज्य कोटा तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु**– 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई0डी0	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम :–

	डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम का नाम	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–672/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017 के द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम
नियामक परिषद	उत्तराखण्ड पैरा चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0– 672/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017/नियामक परिषद एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।

प्रवेश परीक्षा	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु :–** 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु :–** 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वंय के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।
शुल्क	**राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** –पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु– ₹ 45000 / – प्रति वर्ष **निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** • पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु – ₹ 35000 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 50000 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु – ₹ 45000 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 60000 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु – ₹ 55000 / – प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 70000 / – प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	नियामक परिषद / स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** – 50% राज्य कोटा तथा 50% प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** – 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्थान	हे.न.ब. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून / स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई0डी0	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

होम्योपैथी चिकित्सा विभाग

दून विश्वविद्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन-2023' के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी

होम्योपैथी विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 रा. होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन.एच.एम. विंग, 05 आर.सी.एच. तथा 04 त्वचा केन्द्र**	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित रोग, निवारक, उपचारामत्क एवं दुष्परिणाम रहित स्वास्थ्य सेवायें राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है। शहरी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच कैम्प के माध्यम से निःशुल्क हौम्योपैथी उपचार तथा औषधियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न मौसमी रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए आउटरीच स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।	आम जनमानस	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही है।
2.	**27 राजकीय होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना।**	हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क हौम्योपैथिक औषधियों का वितरण एवं निम्न सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं :– योगाभ्यास (प्रत्येक एच.डब्ल्यू.सी. में 01–01 योग अनुदेशक पुरूष / महिला के द्वारा प्रातः कालीन योगाभ्यास कराया जा रहा है।) रैपिड किट आधारित सामान्य पैथोलॉजिकल जांचें (हीमोग्लोबिन, शुगर, प्रैग्नेन्सी टेस्ट, यूरिन इत्यादि की जांचे) तथा हर्बल गार्डन (आमजनमानस को औशधियां पौधों की जानकारी के लिये हर्बल गॉर्डन स्थापित किए गये है तथा आशाओं के माध्यम से औषधीय पौंधों को आमजनमानस को वितरित कर उक्त की जानकारी प्रदान की जा रही है।	आम जनमानस	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही है।
3.	**होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना।**	होम्योपैथिक औषधि के थोक एवं फुटकर लाईसेन्स प्राप्त कर औशधियों के विक्रय हेतु पात्र हो जाता है तथा लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकता है।	बी.एच.एम.एस. / फार्मेसी डिप्लोमाधारी / पंजीकृत होम्योपैथिक क्लीनिक में 01 वर्ष कार्य का अनुभव / होम्योपैथिक फुटकर या थोक लाइसेंस धारक के साथ 1 वर्ष का अनुभव	नवीन लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु ई–सर्विस पोर्टल से आवेदन करते है तथा होम्यौपैथी औषधि निर्माण लाईसेन्स एवं नवीनीकरण के लिए ऑफलाईन भी आवेदन करते है। आवेदन के दौरान निर्धारित आवेदन फॉर्म डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आदि संलग्न करने होंगे। उक्त विक्रय फुटकर एवं थोक लाईसेन्स हेतु प्रति लाईसेन्स ₹ 250/– शुल्क निर्धारित है तथा उक्त लाईसेन्स 05 वर्ष के लिये वैध होता है।

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग

ला.ब.शा.रा.प्र. अकादमी मसूरी में मंथन शिविर
के दौरान योगाभ्यास

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र–आयुष्मान भारत योजना।**	राज्य में कुल 300 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केन्द्र संचालित हैं, जिनमें रोगानुसार औषधि वितरण, रोगानुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। **प्रकृति परीक्षण एवं ऋतुचर्या**–दिनचर्या के अनुसार काउन्सलिंग, गैर–संक्रामक रोगों जैसे–डायबिटिस, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जॉच एवं निदान किया जाता है। **औषधीय पौधौं का वितरण।** इस हेतु प्रति व्यक्ति ₹ 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं ₹ 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ.पी.डी. शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयु वर्ग	लाभार्थी जिसने राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी, हौम्योपैथी औषधालय / चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।
2.	**आयुर्विद्या–आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली।**	आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली का विकास करना, रोगानुसार औषधि वितरण करना। यह सुविधा निःशुल्क है।	स्कूली बच्चे	राजकीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चे
3.	**सुप्रजा–आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ।**	आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। रोगानुसार औषधि वितरण करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति ₹ 10.00 ओ.पी.डी. शुल्क निर्धारित है।	मातृ एवं नवजात शिशु	03 आयुर्वेदिक कॉलेजों (आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कैम्पस, ऋषिकुल एवं गुरूकुल) में उपचार हेतु पंजीकृत लाभार्थी।
4.	**योग वैलनेस केन्द्र।**	रोगानुसार योग, प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना एवं काउन्सलिंग प्रदान करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति ₹ 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं ₹ 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ.पी.डी. शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयुवर्ग	लाभार्थी जिसने चिन्हित राजकीय आयुर्वेदिक, चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, मुंबई रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री जी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना। (राज्य सरकार)**	विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत ₹ 10 लाख बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। श्रेणी–ए के जनपदों हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा–अधिकतम 2.50 लाख), व श्रेणी–बी व बी + हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 5 लाख एवं सेवा–अधिकतम 2 लाख), श्रेणी–सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा–अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है। श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी / मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही एप्पल, आर्किड, पशुपालन एवं एग्री बेस्ड पर भी वित्त पोशण की सुविधा अनुमन्य है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिये।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.msy .uk.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोशण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत नई परियोजनायें एवं छोटे स्तर पर कार्य कर रहे उद्यमों को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है। **आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज** आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेश श्रेणी / जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), प्रोजक्ट रिपोर्ट, शपथ–पत्र, शिक्षा का प्रमाण–पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, दिव्यांग प्रमाण– पत्र (यदि लागू हो) एवं राशन कार्ड कॉपी। (समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा) योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।
2.	**मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म। (नैनो) उद्यम**	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के छोटे उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मजबूत बनाने हेतु अति सूक्ष्म उद्यमों / व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम ₹ 50 हजार तक बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण दिया जाता है। स्थापित उद्यमों को बढ़ाने के लिये भी यह वित्तीय सहायता उपलब्ध है। श्रेणी–ए के जनपदों हेतु 35 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी– अधिकतम ₹ 17500 / – एवं 40 प्रतिशत –विशेष श्रेणी–अधिकतम ₹ 20,000 / –)	आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, आवेदक राज्य का स्थाई / मूल निवासी होना चाहिये। आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिये।	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार होगी परंतु योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 01 वर्ष के निरन्तर संचालन के उपरान्त ही निर्धारित देय उपादान अनुमन्य हो सकेगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		व श्रेणी–बी व बी+ हेतु 30 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी– अधिकतम ₹ 15000 / – एवं 35 प्रतिशत–विशेष श्रेणी–अधिकतम ₹ 17500 / –), श्रेणी–सी व डी हेतु 25 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी– अधिकतम ₹ 12500 / – एवं 30 प्रतिशत –विशेष श्रेणी–अधिकतम ₹ 15000 / –) सब्सिडी दी जाती है। श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण **अनुलग्नक–2** पर संलग्न है।	आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।	
3.	स्टार्टअप नीति–2023।	मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स या छात्र उद्यमियों के स्टार्टप्स को ₹ 15,000 प्रतिमाह का, एक वर्ष तक मासिक भत्ता तथा महिला / अनुसूचितजाति / जनजाति / दिव्यांग / ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को ₹ 20,000 प्रतिमाह का, मासिक भत्ता दिया जाता है। मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को ₹ 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। महिला / अनुसूचितजाति / जनजाति / दिव्यांग / ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को रू. 12.50 लाख तक की सीड फण्डिंग सहायता। पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट ₹ 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹ 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर ₹ 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, यथाः विशेष पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एकमुश्त निशुल्क सहायता। नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए ₹ 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए ₹ 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए ₹ 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।	राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकि तंत्र के विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन्क्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, पूंजी तथा बाजार तक पंहुच को बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति–2023 प्रख्यापित की गई है। नीति में स्टार्ट–अप की परिभाषा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट–अप परिभाषा के अनुसार रखी गयी है। अनुलग्नक–2 पर संलग्न है। नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर पांच वर्श या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेगी। इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। नई स्टार्टअप नीति के तहत पांच वर्षों में 1000 स्टार्टप्स को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www. startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेजों का विवरण https://www.startup uttarakhand.com/attachments/ 164006819441.pdf पर उपलब्ध है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023।**	उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, विशेषकर स्टार्टप्स, स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उत्पाद, नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूशण मुक्त उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। विनिर्माणक क्षेत्र में अनुमन्य क्रियाकलाप / गतिविधियों के लिये नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायताओं का विवरण **अनुलग्नक–3** पर संलग्न है एवं वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरण **अनुलग्नक 4** पर संलग्न है।	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करके इनवेस्ट करना चाहता है, पात्र होंगे।	योजना में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभार्थ निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण निम्नवत लिंक के मैनुअल में उपलब्ध है। https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/uploads/User_Manual_Registration.pdf तत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों को गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति / राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
5.	**मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी– 2021।**	अचल पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण: **लार्ज प्रोजेक्टस**– ₹ 50 करोड़ से ₹ 75 करोड़ तक। **मेगा प्रोजेक्टस**– ₹. 75 करोड़ से अधिक एवं ₹ 200 करोड़ तक। **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस**– प्लान्ट व मशीनरी में ₹ 200 करोड़ से अधिक एवं ₹ 400 करोड़ तक। **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**– प्लान्ट व मशीनरी में ₹ 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश। **वित्तीय प्रोत्साहन:** सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की प्रचलित दरों में छूट / रियायत (केवल विनिर्माणक उद्योगों को) :– लार्ज प्रोजेक्टस– 15 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्टस– 25 प्रतिशत। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस– 30 प्रतिशत। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 30 प्रतिशत। **ब्याज उपादान** : 5 वर्ष तक बैंक से लिये गये सावधि ऋण के ब्याज पर प्रतिपूर्ति सहायता:–	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में "मेगा इंडस्ट्री एवं इनवेस्टमेंट पॉलिसी" के तहत इनवेस्टमेंट करना चाहता है, पात्र होगें।	नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभार्थ निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण तथा किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी वेबसाइट में उपलब्ध है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		लार्ज प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 35.00 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 50.00 लाख प्रतिवर्श। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स–7 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 75.00 लाख प्रतिवर्ष। **एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु):** स्वनिर्मित माल / वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के बाद 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्तिः– लार्ज प्रोजक्टस– 30 प्रतिशत। मेगा प्रोजक्टस / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स / सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 50 प्रतिशत। **विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु):** उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में ₹ 1.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रतिपूर्ति सहायताः– लार्ज प्रोजेक्ट्स– ₹ 50 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– ₹ 75 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– ₹ 1 करोड़ प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– ₹ 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष। **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः** शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति। **स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः** भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टॉम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति। **भूमि क्रय विलेख पत्र / लीज डीड के निबन्धन** के पंजीकरण शुल्क पर प्रति ₹ 1000 पर ₹ 999 की दर से प्रतिपूर्ति। **ई.टी.पी. पर उपादानः** ETP संयंत्र की स्थापना हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 50.00 लाख का पूंजीगत उपादान।		

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		वृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance: Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। निर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर ₹ 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे–रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर ₹ 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।		
6.	**उत्तरा खण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार।**	उत्तराखण्ड राज्य के 25 शिल्पियों को प्रतिवर्ष "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में चयनित उत्कृष्ठ शिल्पी को एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी कोई भी सिद्ध हस्तशिल्पी, जिसकी आयु 45 वर्ष से कम न हो तथा जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्प कला में पारंगत हो और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को प्राथमिकता। शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान दिया हो। शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृतियों की गुणवत्ता/उत्कृश्ठता के आधार पर। शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो। कोई भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सहकारी संस्था /संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।	आवेदन पत्र, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है तथा वेबसाइटhttps://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/act_english1541412900.pdf के लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org/mysite/home पर भी देखा जा सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ आधार कार्ड, जन्मप्रमाण पत्र/जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, गुरू/शिक्षक का संक्षिप्त ब्यौरा, जिसने शिल्प सिखाया हो, शैक्षणिक/वोकेशनल योग्यता, संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो, शिल्प में योगदान का विवरण, शिल्प निर्मित उत्पादों को खरीदने का प्रमाण पत्र, युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने का विवरण, मुख्य प्रदर्शिनियों का विवरण, जिनमें प्रतिभाग किया हो, औसतन प्रतिमाह आय का विवरण आदि उपलब्ध कराना होगा तथा शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा क्रय किया गया हो। (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न करने होंगे)।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				उसके उपरांत आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में जमा करना पडता है। चयन प्रक्रिया–ऐसे उत्कृष्ठ शिल्पियों का आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजे जाते हैं। तत्पश्चात् राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/ आवेदनों पर विचार कर शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।
7.	उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिये पुरस्कार योजना।	**पुरस्कार का स्वरूपः** **1–राज्य स्तरीय पुरस्कार** • हस्तकला क्षेत्र के उत्कृष्ठ हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹ 15000/–, द्वितीय पुरस्कार ₹ 10000/– एवं तृतीय पुरस्कार ₹ 7000/– दिया जाता है। • हथकरघा(सूती एवं ऊनी वस्त्र) क्षेत्र के उत्कृष्ठ बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹ 15000/–, द्वितीय पुरस्कार ₹ 10000/– एवं तृतीय पुरस्कार ₹ 7000/– दिया जाता है। **2–जनपद स्तरीय पुरस्कार** • हस्तकला क्षेत्र के उत्कृष्ठ हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹ 6000/– द्वितीय पुरस्कार ₹ 4000/– दिया जाता है। • हथकरघा(सूती एवं ऊनी वस्त्र) क्षेत्र के उत्कृष्ठ बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार ₹ 6000/– द्वितीय पुरस्कार ₹ 4000/– दिया जाता है।	बुनकर/हस्तशिल्पी अथवा उसका उद्योग, जो उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा)/(हस्तशिल्प), भारत सरकार के अधीन हथकरघा बुनकर/ हस्तशिल्पी के रूप में पंजीकृत हो। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत हस्तकला/हथकरघा के निजी दस्तकार तथा सहकारी समितियां तथा पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं के हस्तशिल्पी एवं बुनकर पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। बुनकर/ हस्तशिल्पी, जिसकी सहकारी समिति /संस्था किसी भी प्रकार के विभागीय /बैंक ऋण के डिफाल्टर न हों, पात्र होंगें। एक बार पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी /बुनकर की प्रविष्ठि को क्रमागत आगामी तीन वर्षों तक पुनः पुरस्कार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, अन्य हस्तशिल्पी/बुनकर संबंधी दस्तावेज/ फोटो/प्रमाण पत्र निर्धारित प्रार्थना पत्र पर निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित रूप पत्र के साथ ₹ 50/– का डिमाण्ट ड्राफ्ट महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पक्ष में देय होगा। **चयन प्रक्रिया**– जिला स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के माध्यम से पुरस्कारों का चयन किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8.	**हथकरघा कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना।**	चयनित महिला कर्मकारों को हथकरघा / पेंटलूम / फ्रेमलूम एवं अन्य उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकतम कुल ₹ 25000 / – का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा तथा अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।	ऐसी महिला कर्मकार, जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकरी / कताई–बुनाई है। ऐसी महिला कर्मकार, जिन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है, परन्तु करघा न होने की स्थिति में बुनाई कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही हैं, को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार / राज्य सरकार से पंजीकृत महिला कर्मकार।	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https:// doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, यदि भारत / राज्य सरकार में पंजीकृत हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य हस्तशिल्पी / बुनकर संबंधी दस्तावेज / फोटो / प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। **चयन प्रक्रिया**–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद स्तर पर पात्र महिला कर्मकारों का मानकों के अनुसार चयन कर सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा, उसके उपरांत 90 प्रतिशत धनराशि महिला कर्मकारों के खाते में भेजी जाती है।
9.	**शिल्पियों हेतु पेंशन योजना।**	60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के ऐसे शिल्पी, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ₹ 400 / – का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।	शिल्पी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिये। यदि किसी शिल्पी का पुत्र अथवा पौत्र 20 या उससे अधिक आयु का है, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो अभ्यर्थी शिल्पी पेंशन हेतु पात्र होगा। राज्य के ऐसे शिल्पी, जो परम्परागत रूप से विभिन्न हस्तशिल्पों यथा पत्थर, लकड़ी, ताम्र, लोहा, ऐंपण, रिंगाल, बांस एवं प्राकृतिक रेशे से उत्पाद विकास आदि एवं जिन शिल्पों को शासन द्वारा समय–समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पों में कार्य कर रहे शिल्पी योजना के पात्र होंगे।	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धा वस्था पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्मतिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र / आधार, परिवार परिभाषित करने हेतु परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शिल्पकार होने संबधी प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। **चयन प्रक्रिया**– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र शिल्पियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर पेंशन हेतु चयनित किया जाता है। चयन के उपरांत, अतिरिक्त प्रोत्साहन पेंशन का भुगतान त्रैमासिक रूप से बैंक / डाकघर खाते में किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
10.	**थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना। (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)**	**प्रशिक्षण प्रोत्साहन** :– थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रचलित शिल्पों के साथ–साथ बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो माह की होगी, जो एक माह में अधिकतम 25 दिन स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन 5 घण्टे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 250 घण्टे होगी। **विपणन प्रोत्साहन**–जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले परम्परागत मेलों, प्रदर्शनियों एवं जिला हथकरघा प्रदर्शनियों में प्राथमिकता पर प्रतिभाग के अवसर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय–समय पर राज्य / देश में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम / प्रदर्शनियों / भारत अन्तर्राश्ट्रीय व्यापार मेले में शिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त प्रदर्शनियों / मेलों में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को आने–जाने का न्यूनतम किराया, उत्पादों को लाने एवं ले जाने हेतु अधिकतम ₹ 1000 / – माल भाड़ा प्रति शिल्पी एवं स्टॉल किराया भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।	राज्य में शिल्प क्षेत्र में कार्य करने वाली थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु पात्र होंगी।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https:// doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाईल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, शिल्पकार होने संबधी प्रमाण, एवं प्रार्थना पत्र जिसमें प्रशिक्षण लेने अथवा मेलों में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया हो, अथवा उद्योग कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। उक्त के उपरांत संबंधित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाता है।

अनुलग्नक–1

श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण

1	श्रेणी 'ए'	• जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
2	श्रेणी 'बी'	• जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र। • जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड। (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) • जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड। (श्रेणी 'बी+' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
3	श्रेणी 'बी+'	• जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र। • जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र। • जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड। • जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र।
4	श्रेणी 'सी'	• जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र। • जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड।
5	श्रेणी 'डी'	• जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र। • जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र। (जो श्रेणी, 'बी', 'बी +' और 'सी' श्रेणी में शामिल नहीं हैं)

अनुलग्नक–2

स्टार्टअप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को **"स्टार्टअप"** माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है:– **ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो:**

- विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
- निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ हो।
- किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए।
- इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या समय–समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअपस के मानदंडों के अनुसार हो।

अनुलग्नक–3

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता–

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्शित करने एवं अन्य प्रदेशों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन / प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी:–

1. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सहायता** – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म उद्यमों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु सहायता दी जायेगी। इसके लिये उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा सलाहकारों (Consultants) का मनोनयन (Empanelment) किया जायेगा। राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा मनोनीत सलाहकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बंधित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त, दावा प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

2. **स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति:** ए, बी, सी व डी श्रेणी के जनपदों / क्षेत्रों में चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने / क्रय करने / हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की निम्नवत् प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी–

जनपद / क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी –ए	100 प्रतिशत
श्रेणी– बी	100 प्रतिशत
श्रेणी– सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

3. **पूंजीगत उपादान:** प्रदेश में स्थापित होने वाले, चिन्हित श्रेणी के, नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता देय होगी:–

इकाई श्रेणी	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
जनपद / क्षेत्र श्रेणी ↓	संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में ₹ 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में ₹ 01 करोड़ से अधिक, ₹ 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में ₹ 05 करोड़ से अधिक, ₹ 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर में ₹ 10 करोड़ से अधिक, ₹ 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 50 लाख)	₹ 50 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1.50 करोड़)	₹ 1.50 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 2.50 करोड़)	₹ 2.50 करोड़ + ₹ 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 04 करोड़)

	इकाई श्रेणी	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
	श्रेणी–बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख)	₹ 40 लाख + ₹ 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम	₹ 1.20 करोड़ + ₹ 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 02 करोड़)	₹ 02 करोड़ + ₹ 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 03 करोड़)
	श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख)	₹ 30 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 80 लाख)	₹ 80 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1.20 करोड़)	₹ 1.20 करोड़ + ₹ 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 02 करोड़)
	श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 20 लाख)	₹ 20 लाख + ₹ 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 60 लाख)	₹ 60 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 90 लाख)	₹ 90 लाख + ₹ 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1.50 करोड़)

- इस नीति के अंतर्गत **''प्राथमिकता श्रेणी''** के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की राज्य में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– ₹ 5 लाख, लघु उद्यम– ₹ 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– ₹ 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत **''अति–प्राथमिकता श्रेणी''** के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की श्रेणी–ए अथवा बी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 10 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– ₹ 10 लाख, लघु उद्यम– ₹ 15 लाख तथा मध्यम उद्यम– ₹ 20 लाख) तथा श्रेणी–सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– ₹ 5 लाख, लघु उद्यम– ₹ 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– ₹ 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी के नयी **एंकर (Anchor) इकाई एवं न्यूनतम 7 सहायक (Ancillary)** इकाईयों की राज्य में स्थापना पर एंकर इकाई तथा सभी नयी सहायक इकाईयों (यदि वे चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं) को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– ₹ 5 लाख, लघु उद्यम– ₹ 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– ₹ 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले, **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों** को 5 प्रतिशत (अधिकतम, सूक्ष्म उद्यम– ₹ 5 लाख, लघु उद्यम– ₹ 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– ₹ 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- किसी भी उद्यम द्वारा, इस नीति के अंतर्गत वर्णित विशिष्ट श्रेणी में से, एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा।
- पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु **स्थायी पूंजी निवेश** के लिए कार्यशाला भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के रूप में ''भूमि एवं भूमि विकास'' में किये गये निवेश को पूंजी उपादान के लिये आंगणन में नहीं लिया जायेगा।
- विनिर्माणक क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम **(पीएमईजीपी), पीएमएफएमई** (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना **(एमएसवाई)** के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को सर्वप्रथम इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। यदि ये इकाईयां एमएसएमई नीति–2023 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजना के कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर मद के लिए स्वीकृत/संवितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति–2023 में अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि **टॉप–अप सहायता** के रूप में दी जायेगी।

- यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/उपादान को एमएसएमई नीति–2023 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा।
- **पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण** –
- **सूक्ष्म उद्यम** – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 2 वर्षों में, 2 समान किश्तों में।
- **लघु एवं मध्यम उद्यम** – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, आगामी 5 वर्षों में, 5 समान किश्तों में।

2. **ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति** – प्रदेश में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोशण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी–

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

3. **विद्युत ड्यूटी पर छूट** – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि.वा. हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जायेगी।
4. **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति**– राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेंट/क्वालिटीमार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराईट/एफ.एस.एस.ए.आई./प्रदूषण नियंत्रण/जेड–Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।
5. **मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति** – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्श तक निम्नवत् देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा
श्रेणी–ए	50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
श्रेणी–बी	50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 3 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

अनुलग्नक–4

श्रेणी–ए :

- जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी–बी

- जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भू–भाग।
- जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।

श्रेणी–सी

- जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुडे फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
- जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।

श्रेणी–डी

- जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। (PMEGP)	विनिर्माण क्षेत्र के लिये ₹ 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये ₹ 20 लाख तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। **सामान्य श्रेणी हेतु** (स्वयं का योगदान–10 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत), **विशेष श्रेणी हेतु** (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग, आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा सूचित किए गये के अनुसार) हेतु स्वयं का योगदान 5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु–25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	आवेदक की उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक हो, आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। ₹ 5 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं। विर्निर्माण क्षेत्र की ₹ 10 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में ₹ 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं (पति अथवा पत्नी) शामिल है।	योजना का संचालन भारत सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in अथवा PMEGP-E-PORTAL से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं।योजना का क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। **आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज**– आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो), ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा), रोजगार संख्या के साथ प्रोजैक्ट रिपोर्ट, शिक्षा (ईडीपी) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), अन्य कोई लागू दस्तावेज **(समस्त दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जाना है)** लाभार्थियों की पहचान राज्य / जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी। लाभार्थियों को 100 अंकों का स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर चयन उपरान्त चयनित बैंक से वित्त पोषण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषण किया जाता है। स्थापित परियोजना 3 वर्ष के निरन्तर संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित मार्जिन मनी उपादान अनुमन्य होगा।
2.	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना	गांधी जयन्ती से 26 जनवरी तक खादी वस्त्रों पर 10 प्रतिशत् छूट ग्राहक को दी जाती है।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) में पंजीकृत उत्तराखण्ड के उत्पादन / बिक्री केन्द्रों को दी जाती है। उनके द्वारा संबंधित ग्राहकों को दी जाती है।	खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन / बिक्री केन्द्रों पर समस्त उपभोक्ताओं को वस्त्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

पर्यटन विभाग

कार्तिक स्वामी मंदिर, जनपद-रूद्रप्रयाग

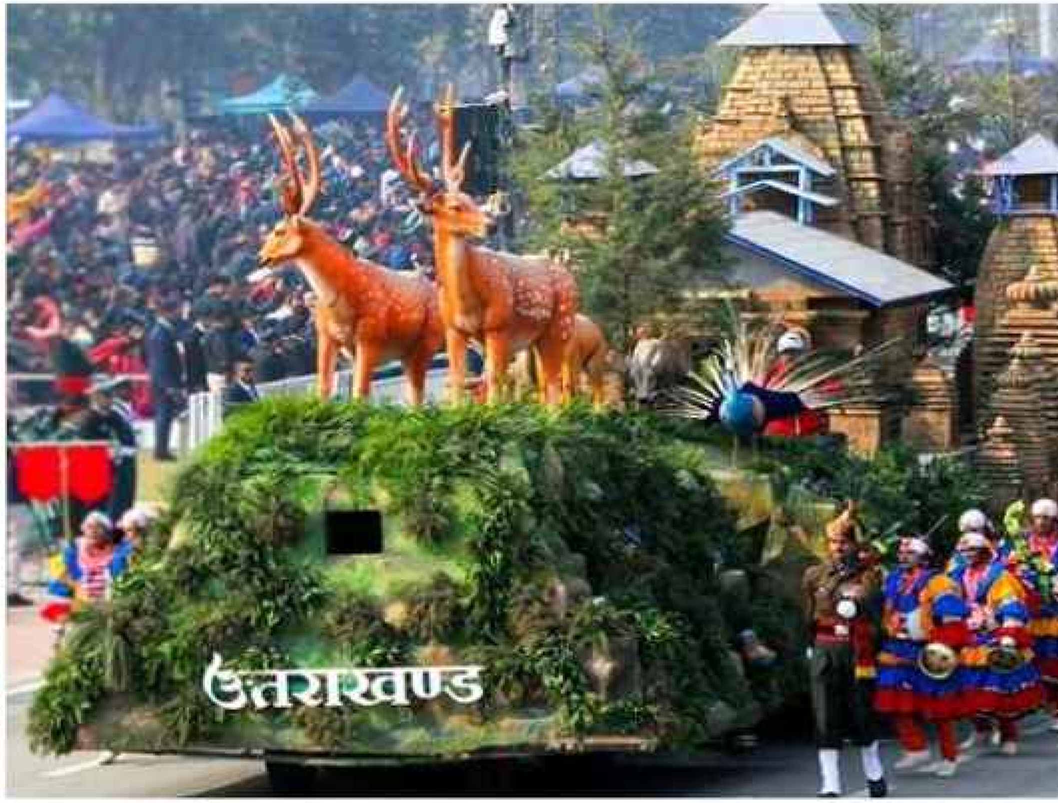

गणतंत्र दिवस परेड, वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड की मानसखण्ड झांकी को मिला देश में प्रथम स्थान।

पर्यटन विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम– स्टे) विकास योजना।**	प्रदेश के स्थायी/मूल निवासियों को होम–स्टे निर्माण हेतु ऋण लिये जाने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख साथ ही प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का अधिकतम ₹ 1.50 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25% अधिकतम ₹ 7.5 लाख साथ ही प्रथम पांच वर्षों हेतु ₹ 1.00 लाख अनुदान धनराशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। ऋण लेते समय लाभार्थी का अंशदान 12.50 प्रतिशत होता है। ऋण लेने पर ही सब्सिडी दी जाती है। नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आर्थिक साज–सज्जा, उनका विस्तार/ नवीनीकरण/ सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये उक्तानुसार धनराशि/सब्सिडी दी जाती है।	यह लाभ नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होमस्टे बनाने पर अनुदान दिया जाता है। आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। भवन स्वामी, जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो, अतिथियों के लिये न्यूनतम एक एवं अधिकतम छः कक्षों का निर्माण कर सकता है। होम स्टे बनने पर या पहले से बने गृह आवास की मरम्मत करने के उपरांत पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत कराया जाना होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/ विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	आवेदक ऑनलाईन msy.uk.gov.in > दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना में आवेदन करेगा। आवेदन करने के दौरान पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उसके उपरांत जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि/भवन संबंधी प्रमाण पत्र, योजना का आंगणन, नगरपालिका में जमीन न होने संबंधी प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र खरीदने/ अग्निशमन विभाग की एनओसी, प्राधिकृत विभाग/ संस्था द्वारा नक्शा पास तथा अनु० जाति/अनु० जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)। संलग्न करना होगा। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को संबंधित आवेदक को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाता है। जिलाधिकारी के समक्ष इंटरव्यू होता है, समिति द्वारा सही पाये जाने पर प्रस्ताव उस बैंक को भेजा जाता है, जहां से आवेदक लोन लेना चाहता है। बैंक को प्रस्ताव ऑनलाईन जाता है, फिर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाती है, ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक पर्यटन अधिकारी को अवगत कराता है तथा संबंधित आवेदक के खाते में ऋण धनराशि उपलब्ध कराता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				आवेदक द्वारा होमस्टे निर्माण / मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवेदक पर्यटन अधिकारी को लिखकर देगा कि कार्य हो गया। उसके बाद अपने नये आवास को होमस्टे में पंजीकरण करायेगा तत्पश्चात जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त जांच आख्या जमा करने के बाद होमस्टे में आगन्तुकों के स्टे करवाने का कार्य शुरू करेगा तथा विभाग द्वारा सब्सिडी बैंक के ऋण खाते में दी जाती है।
2.	**ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना।**	वर्ष 2020 से आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से 02 किमी. की परिधि में आने वाले गांव, इस योजना से लाभान्वित किये जाते हैं। चिन्हित रूट पर शौचालय युक्त भवन निर्माण हेतु ₹ 60,000 /– प्रति कक्ष तथा यदि भवन की मरम्मत की जानी है तो ऐसी दशा में प्रति कक्ष ₹ 25,000 /– अधिकतम 06 कक्षों के लिये अनुदान की व्यवस्था है।	यह लाभ केवल पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि में आने वाले गांवों पर ही लागू होती है तथा यह गांव शहरी क्षेत्रों से अलग हों। इसमें ऋण लेने की बाध्यता नही है। आवेदक ट्रैक्शन सेंटर के पास पड़ने वाले गांव का मूल निवासी हो। आवेदक स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो या करेगा। अतिथियों हेतु न्यूनतम एक एवं अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई है। होम–स्टे का विभाग में पंजीकरण हो अथवा नया बनाने पर पंजीकरण कराना होगा। पारम्परिक पहाडी शैली में निर्मित / विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	विभाग द्वारा अधिसूचित गावों के निवासियों द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र से प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्रारूप के साथ जन्मतिथि / आयु प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, अनु. जाति / अनु. जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराखण्ड के मूल निवासी, उसी क्षेत्र का होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, भूमि / भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में आवेदन जमा करने के उपरांत, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होती है, गठित समिति द्वारा संबंधित आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तथा इंटरव्यू में सही पाये जाने पर आवेदकों का चयन किया जाता है तत्पश्चात सम्बन्धित आवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने पर जिला द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निरीक्षण / परीक्षण किये जाने के उपरान्त सही पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति के पश्चात विभाग द्वारा होम स्टे बनाने एवं मरम्मत की धनराशि संबंधित व्यक्ति के खाते में भुगतान की जाती है। ग्रामों का चिन्हीकरण – जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी (जिसमें जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं) गांवो को स्वतः चिन्हित करते हैं अथवा यदि कोई गांव टैक्रिंग रास्ते के 02 किमी की परिधि के आसपास विकसित हो रहे हों तो संबंधित ग्रामप्रधान / ब्लाक प्रमुख / विधायक पत्र / प्रस्ताव विभाग को भेजते हैं तथा उसके उपरांत पर्यटन अधिकारी जांच करता है जांच के दौरान, ट्रैकिंग ट्रैक्शन रूट के लिए संबंधित गांव पात्र होंगे, को निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती हैं। बैठक कार्यवृत्त तथा प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को भेजा जाता है। परिषद द्वारा संबंधित ग्रामों की जांच की जाती है, सही पाये जाने पर परिषद संबंधित ग्रामों को अधिसूचित करता है।
3.	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) पंजीकरण।	इसके अंतर्गत राज्य के ऐसे भवन स्वामी जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक हों, को पर्यटन विभाग के होमस्टे में पंजीकृत कर, किसी भी अतिथि को रात्रि विश्राम–भोजन की व्यवस्था, शुल्क प्राप्त कर, उपलब्ध करायी जाती है। इसका मुख्य उददेश्य पर्यटकों को आवास–भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। पंजीकरण के उपरांत संबंधित आवास, विभाग की वेबसाइट पर होम स्टे की सूची में आ जाता है जिससे कोई भी अतिथि विभागीय वेबसाइट से उक्त जानकारी प्राप्त कर, रात्रि विश्राम कर सकता है।	शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें निवास करता हो।	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम– स्टे) में पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism.gov.in> Trade > Homestay Registration में करना होता है जिसके लिए आधार संख्या, आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर उल्लिखित शपथ–पत्र, पैनकार्ड, स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति (नक्शा), होम–स्टे की फोटो (होम–स्टे का नाम सहित, कमरों की साज–सज्जा, शौचालय, किचन की फोटो), भू–स्वामित्व की प्रति (खाता, खतौनी / रजिस्ट्री अभिलेख), पेइंग गेस्ट हाऊस का पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पुरानी इकाई की दशा में), पंजीकरण शुल्क– 500 ₹ NEFT / ऑनलाईन / ऑफलाईन, जिला प्रशासन

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			अतिथियों के लिये न्यूनतम एक तथा अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई हो। आवासीय इकाई में शौचालय अनिवार्य रूप से हो। आवसीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।	द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, फायर डिपार्टमेन्ट NOC/Fire Extinguisher bill (जिला पर्यटन विकास अधिकारी के स्तर पर निर्धारित) संलग्न करना होगा। उसके उपरांत विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण संख्या आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है, पंजीकरण के पश्चात अतिथियों को आवास में शुल्क लेकर रात्रिविश्राम करा सकता है।
4.	**वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना।**	इस योजना के अंतर्गत वाहन मद (साधारण बस, टैक्सी, मैक्स, इलेक्ट्रिक बस) तथा गैर वाहन मद (होटल/पेंइग गेस्ट योजना, मोटरगैराज/वर्कशाप निर्माण, फास्ट फूड सैन्टर्स की स्थापना, साधना कुटीर योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना, साहसिक क्रियाकलाप, पी.सी.ओ. सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना, टैन्टेज आवासीय सुविधाओं का विकास, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, बेकरी को स्थापित किया जाना, लॉन्ड्री की स्थापना, पर्यटन हेतु टेरेन बाइक्स, स्टार गेंजिग एवं बर्ड वाचिंग हेतु उपकरणों का क्रय, हर्बल टूरिज्म, क्याकिंग/नाव का क्रय एवं संचालन, कैरावैन/मोटर होम टूरिज्म, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, स्मरणीय वस्तु (मैमोरबिलिया) युक्त संग्रहालय का निर्माण एव मैमोराबिलिया/स्मारिका केन्द्र की स्थापना, फ्लोटिंग होटल का निर्माण, ट्रेकिंग उपकरणों सूट, जैकेट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों की स्थापना, उपरोक्त योजनाओं	यह योजना सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक/बेरोजगार राज्य का मूल/स्थाई निवासी हो, यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिकता प्रतिभूति के पक्ष में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य है, परन्तु यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी, परन्तु पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।	योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन ऑनलाईन MSY Portal- https://msy. uk.gov.in/ पर किया जायेगा तथा आवेदन के दौरान आवेदक के पास आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फोटो, पहचान प्रमाण, शपथ पत्र, जिस कार्य को करना चाहता है तत्संबंधी प्रमाण, प्रस्तावित निवेश प्रमाण, शिक्षा प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण, (जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो तो), राशन कार्ड वाहन खरीदने की स्थिति में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, गैरवाहन कार्य करने हेतु प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज आदि अपलोड करने होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को संबंधित आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।) हेतु निम्नवत अनुदान / सब्सिडी दी जाती है :– (क) गैर वाहन मदः– पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत अधिकतम ₹ 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। (ख) वाहन मदः– पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 10.00 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है, परन्तु पुश बैक–30 एवं 42 सीटर–2*2 बस / इलेक्ट्रिक बस एवं पुश बैक 26–28 सीटर एवं 42 सीटर 2*2) इलैक्ट्रिक बस / वातानुकूलित बस हेतु 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम ₹ 20.00 लाख की राजकीय सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यह व्यवस्था केवल बस / इलैक्ट्रिक बस जो कि निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं पर अनुमन्य होगी तथा बस / इलैक्ट्रिक बसों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 होगी। योजना में अनुदान का लाभ लिए जाने हेतु कुल लागत का 12.5% Margin Money (आवेदक का अंशदान) होना आवश्यक है।	बेरोजगार से तात्पर्य– "बेरोजगार" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो तत्समय किसी व्यापार, उद्यम या वृत्ति में न लगा हो।	जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिए जाने के उपरान्त स्वीकृत प्रस्ताव को सम्बन्धित बैंक शाखा, जिससे आवेदक ऋण लेने का इच्छुक है, को ऑन लाईन प्रेषित किया जाता है। उसके उपरान्त बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक जिला पर्यटन अधिकारी को इस विशय पर सूचित कर संबंधित आवेदक के खाते में ऋण धनराशि उपलब्ध कराता है। आवेदक द्वारा वाहन क्रय / गैर वाहन संबंधी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुदान हेतु आवेदक सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को कार्य पूर्ण होने / वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में सूचित करेगा। तदोपरान्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने का प्राविधान है। कार्य पूर्ण होने की पुश्टि के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार अनुमन्य अनुदान लाभार्थी के सम्बन्धित बैंक शाखा को उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक, कभी भी आवेदन कर सकता है। योजना हेतु बैंक द्वारा ऋण, निर्धारित ब्याज दरों एवं बैंक नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।
5.	**उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान।**	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अन्तर्गत निवेशकों को निम्नवत् अनुदान अनुमन्य है :– पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में पूंजीगत निवेश कर स्थापित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं हेतु निम्नवत् पूंजीगत अनुदान अनुमन्य होंगे :– • आवासीय परियोजनाओं में अधिकतम पूंजीगत अनुदान श्रेणी अ– 25 प्रतिशत तक श्रेणी ब– 35 प्रतिशत तक श्रेणी स– 50 प्रतिशत तक	पर्यटन नीति के उल्लिखित विभिन्न एन.आई.सी. कोड के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन परियोजनाओं, उत्पादों एवं सेवाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम निवेश एवं अवस्थापना विकास कार्य।	निवेशक सर्वप्रथम, सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत http://investuttarakhand.uk.gov.in पर सैद्धान्तिक सहमति हेतु (Inprinciple Approval) हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु निवेशक द्वारा अपना विवरण, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, जमीन की जानकारी तथा किस योजना के तहत लाभान्वित होना चाहता है, का विवरण भरा जायेगा। निवेशक को निवेश करने से पूर्व किन

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अनुदान निम्न विवरण के अनुसार दिया जायेगा। a) अनुसार अधिकतम पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 10 समान वार्षिक किस्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष, **अथवा** b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। **आवासीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन** i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) ii. प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान –(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) iv. अपशिष्ट उपचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) v. राज्य द्वारा विकसित ऑनलाईन ट्रैवल एजेंसी/प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) • पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान– पूंजीगत परिसम्पति का अधिकतम 100 प्रतिशत तक **अनुदान निम्न विवरण के अनुसार दिया जायेगा।** a) पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 05 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष	कोई भी वैद्य इकाई/निवेशक जो नियमानुसार पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक हो तथा पर्यटन नीति 2023 तथा पर्यटन नीति की ऑपरेशनल गाईड लाईन के अनुरूप नियत पात्रता धारित करता हो, नीति में प्राविधानित अनुदान प्राप्त कर सकता है। परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता की स्थिति मे निवेशक के पास भूमि उपलब्ध हो, अथवा भूमि क्रय/लीज कर परियोजना क्रियान्वित की जा सकती है।	दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध रहता है। एम0एस0एम0ई0 50 करोड तक अथवा उससे कम के प्रस्ताव (MSME) की स्थिति में महाप्रबंधक, उद्योग विभाग जिला उद्योग केन्द्र को अग्रसारित होता है। जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति एवं टिप्पणियों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रारम्भिक रूप प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति/असहमति कारणों सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। गैर–एमएसएमई परियोजनाओं (50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश अथवा समय–समय पर संशोधित) वाले प्रस्ताव सिंगल विण्डो पोर्टल पर नोडल अधिकारी उद्योग निदेशालय स्तर पर जाते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति/असहमति की टिप्पणीयों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रारम्भिक रूप प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति/असहमति कारणों सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुसार एमएसएमई परियोजनाओं (50 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर निवेश अथवा समय–समय पर संशोधित) हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन जनपद स्तर पर गठित जिला प्राधिकृत समिति (DLEC) द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार गैर एम0एस0एम0ई0 परियोजनाओं के निवेश हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) द्वारा किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अथवा a) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। **पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन।** i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) ii. प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान – (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) iv. राज्य द्वारा विकसित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी / प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) टर्न ओवर (Turnover) लिंक्ड प्रोत्साहन– पूर्व से संचालित व पूंजीगत अनुदान न प्राप्त करने वाली स्तरीय पर्यटन परियोजनाओं हेतु टर्नओवर अनुदान का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान अनुमन्य हैः– a) प्रीमियम आवासीय इकाई–पात्र टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम b) विदेशी पर्यटकों के प्रवास पर प्रोत्साहन –पात्र टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम c) एम0आई0सी0ई0, कला, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेलों और त्यौहारों का संगठन–पात्र कारोबार का 1 प्रतिशत अधिकतम हेली–परिवहन के लिए प्रोत्साहन–सहस्त्रधारा, जौलीग्रांट तथा पंतनगर हैलीपैड से आवास के निकट		सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक विभिन्न विभागीय अनापत्तियों यथा–भू उपयोग परिवर्तन, फायर, पर्यावरण, विद्युत, पेयजल एवं भवन प्लान स्वीकृति हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल अथवा सम्बन्धित विभागीय सेवाओं हेतु आवेदन किया जाता है। निर्माण से पूर्व की इन विभागीय अनापत्तियां / स्वीकृतियां प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक अपना प्रोजेक्ट पर निर्माण प्रारम्भ करता है। प्रस्तावित परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद, परियोजना संचालन से पूर्व (Consent to Operate) की विभागीय अनापत्तियों / स्वीकृतियों / पंजीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों यथा– पर्यावरण, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के ट्रैवल ट्रेड पंजीकरण तथा ऑक्यूपैन्सी सर्टिफिकेट आदि हेतु आवेदन किया जाता है। सभी प्रकार की अनापत्तियां / पंजीकरण / सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ किया जाता है। इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ करने के उपरान्त ही पर्यटन नीति मे उल्लेखित अनुदान हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है। पर्यटन नीति मे प्राविधानित अनुदान हेतु कोई भी पात्र पर्यटन इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) के उपरान्त विशयगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 150 दिनों के भीतर नियमावली मे निर्धारित अभिलेखों के साथ सिंगल विण्डो पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। अनुदान हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा सिंगल विण्डों पर पूर्व मे आवंटित कैफ (CAF) आई.डी. के माध्यम से ही ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हैलीपैड तक हेलीकॉप्टर परिवहन के लिए इकाई को प्रति व्यक्ति 500 रूपये प्रति फेरा (Per Leg) अनुदान विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्ति– नई पात्र पर्यटन इकाईयों को नीति अवधि तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति** – नई पात्र पर्यटन इकाईयों को लागू स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति 05 समान किस्तों में। • पर्यटन नीति 2023 के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु नई परियोजना/विस्तारीकरण हेतु न्यूनतम निवेश अलग–अलग विधाओं हेतु पृथक– पृथक है, जो कि 01.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक है, साथ ही निवेशक को न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं, विशिष्ट शर्तो एव गाईडलाईन में निर्धारित अन्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। विस्तृत विवरण ऑपरेशनल गाईडलाईन में उपलब्ध है।		ऑन लाईन अनुदान आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसके प्रमाण पत्रों की जांच, स्थलीय निरीक्षण के लिए संबंधित जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यटन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट ऑन लाईन पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगा। प्राप्त रिर्पोट एवं अभिलेखों का परीक्षण कर सम्बन्धित अनुदान प्रस्ताव पर्यटन मुख्यालय मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित एकीकृत पर्यटन समिति (आईटीसी) के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (आईटीसी) द्वारा अनुदान प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी अनुसंशा/टिप्पणियों सहित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) में प्रस्तुत किया जायेगा। (SLEC) द्वारा प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (SLEC) से अन्तिम वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप नियत अनुदान राशि सम्बन्धित निवेशक/आवेदक को उसके बैंक खातें में उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद द्वारा ऑन लाईन हस्तान्तरित की जायेगी। नोट– किसी भी अनुदान हेतु पर्यटन नीति तथा ऑपरेशनल गाईड लाईन्स में प्राविधानित नियमों/उपबन्धों एवं इस हेतु समय–समय पर संशोधित नियमों के अधीन होगें।

ऊर्जा विभाग (उरेड़ा)

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम।**	बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त गैस का उपयोग कुकिंग के लिये किया जा सकता है तथा उच्च कोटि की खाद (कम्पोस्ट खाद) प्राप्त की जा सकती है। निम्नानुसार अनुदान देय होगा:– 1 घनमीटर – ₹ 17,000 / – 2–4 घनमीटर – ₹ 22,000 / – 6 घनमीटर – ₹ 29,250 / – 8–10 घनमीटर – ₹ 34,500 / – 15 घनमीटर – ₹ 63,250 / – 20–25 घनमीटर – ₹ 70,400 / – छोटे बायोगैस प्लान्ट में अनुमानित धनराशि ₹ 40,000.00 लगभग व्यय होती है तथा विभाग से ₹ 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।	प्रदेश के पशुपालक बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु पात्र होंगे। बायोगैस संयंत्र हेतु लाभार्थी का पशुपालक होना आवश्यक है। बायोगैस लगाये जाने हेतु 4X3=12 वर्ग मी. भूमि तथा 03 पशुओं की आवश्यकता होगी।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल https://biogas.mnre.gov.in/ पर ऑनलाईन या जनपद स्तरीय उरेडा कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संयत्र की स्थापना के लिये ऑनलाईन आवेदन करने हेतु, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी। पी.सी.बी. की एन. ओ.सी. या अन्य किसी विभाग की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन न कर पाये तो ऑफ लाईन भी आवेदन जमा कर सकता है। उरेडा का जनपद स्तरीय कार्यालय सहयोग करेगा।
2.	**मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना।**	योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों / लाभार्थियों को 20 / 25 / 50 / 100 एंव 200 कि.वा. क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 20 किलोवाट हेतु ₹ 10 लाख एवं 25 किलोवाट हेतु 12.50 लाख तथा 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। 50 किलोवाट हेतु 700–1000 वर्ग मी., धनराशि लागत ₹ 25.00 लाख है। 100 किलोवाट हेतु 1500–2000 वर्ग मी. धनराशि लागत ₹ 50.00 लाख। 200 किलोवाट हेतु 3000–4000 वर्ग मी., धनराशि लागत ₹ 100.00 लाख। (चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य / जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई नीति–2023 के अंतर्गत अनुमन्य लाभ / प्रोत्साहन देय है।आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होगें तथा 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाता है। आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाईटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।	योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन किया जायेगा। आवेदन हेतु स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवेदन शुल्क, शपथ पत्र, प्रस्तावित भूमि विवरण संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तदोपरान्त पोर्टल पर प्राप्त आवेदन को यू.पी.सी.एल. को TFR हेतु प्रेषित किया जायेगा, यू.पी.सी.एल. द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त आवेदन को वापस उरेडा को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये संस्तुति उपरान्त उरेडा द्वारा आवेदक को सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यू.पी.सी.एल. द्वारा 25 वर्षो के लिये क्रय किया जायेगा। विक्रय की गयी विद्युत को टैरिफ दरों के अनुसार यू.पी.सी.एल. द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।		
3.	**ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना।**	एम.एन.आर.ई., भारत सरकार की रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत ही पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 01 कि.वा. से 03 कि.वा. तक की श्रेणी वाले संयत्रों हेतु ₹ 17000.00 प्रति कि.वा. की दर से एंव 03 कि.वा. से 10 कि.वा. तक की क्षमता के संयत्रों हेतु ₹ 51,000.00 नियत लाभ अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू.पी.सी.एल. द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा।	सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम.एन.आर.ई., भारत सरकार द्वारा संचालित "ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना" के अन्तर्गत एम.एन.आर.ई., भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://solarrooftop.gov.in पर आवेदन किया गया हो एंव संयत्र स्थापना केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत / निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होंगे।	एम.एन.आर.ई. भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान किया गया हो, उनके द्वारा जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड / बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करने पडते हैं। सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
4.	**Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित।**	घर की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने से अपने विद्युत बिल की धनराशि को सोलर प्लांट द्वारा जनित विद्युत के उपयोग से कम कर सकते है तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसके सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते है। एकल घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भारत सरकार द्वारा 3KW क्षमता तक सोलर प्लांट हेतु ₹ 17662 / KW एवं तदुपरान्त 10KW क्षमता तक रू 8831 / KW का अनुदान सीधे उपभोक्ता को उनके खाते में दिया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 3KW क्षमता तक के सोलर प्लांट हेतु ₹ 17000 / KW का अनुदान अनुमन्य किया गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेज़िडेन्शियल वेलफैर एसोशिएशन हेतु 10 KW क्षमता तक ₹ 8831 / KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।	समस्त घरेलू उपभोक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेज़िडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशन।	MNRE भारत सरकार के पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण उपरान्त ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जिस हेतु UPCL द्वारा NOC भी ऑनलाईन ही जारी की जाती है। उपभोक्ता द्वारा UPCL के किसी भी पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। प्लांट स्थापना के उपरान्त UPCL द्वारा Net Meter स्थापित कर प्लांट को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है एवं समस्त संबंधित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाते है। अंत मे उपभोक्ता द्वारा अपने बैंक एकाउंट का विवरण उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिसमे अनुदान की धनराशि सीधे अवमुक्त की जाती है।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमि.
(यू.पी.सी.एल.)

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया। दिनांक 28 फरवरी 2023

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.सी.एल.)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन / कनेक्शन की प्रक्रिया एल.टी. संयोजन एच.टी. संयोजन।	विद्युत कनेक्शन– बिजली / विद्युत को संबंधित आवास / भवन में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित शुल्क जमा कर कनेक्शन लेना होता है।	कोई भी व्यक्ति जो नया विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा अस्थायी विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा संयोजन में भार वृद्धि / कमी करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।	विद्युत संयोजन के आवेदन हेतु आवेदक, विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के यूपीसीएल कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाइट (www-upcl-org) पर ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के साथ ID Proof (आधार कार्ड, वोटर आई.डी., पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि में से कोई भी एक)] Ownership Proof (sale deed, lease deed, registered general power attorney, Municipal tax receipt, Letter of allotment आदि में से कोई एक) । यदि Ownership Proof में इंगित उक्त दस्तोवज में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने तो तीन गुणा प्रतिभूति धनराशि जमा करने का भी प्रावधान उपलब्ध है। आवेदन पत्र व उपरोक्त दस्तावेज ऑन लाईन माध्यम से अथवा सम्बन्धित कार्यालय में जमा किये जा सकते है। आवेदन व दस्तावेज की जांच करने के उपरान्त आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। तदोपरान्त विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, जिसके अनुसार आवेदक को निर्धारित धनराशि ऑनलाईन / ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान करनी होती है। सम्पूर्ण औपचारिक्तायें पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत संयोजन का मीटर संबंधित भवन / क्षेत्र में लगाया जाता है। यह प्रक्रिया वर्तमान में विभागीय वेबसाइट www.upcl.org के माध्यम तथा अपणि सरकार पोर्टल माध्यम एवं वाणिज्य / औद्योगिक संयोजन हेतु सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से भी संचालित है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

दिनांक 06.02.2022 प्रख्यात अभिनेता
श्री अक्षय कुमार जी का स्वागत करते हुए
मा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र।	राज्य में फिल्मों की शूटिंग।	फिल्म निर्माता।	फिल्म निर्माण की अनुमति से पूर्व निर्माता को ''सिंगल विण्डो सिस्टम'' https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश (Synopsis) Production house का registration Certificate/GST या किसी Line Producer से फिल्म निर्माण कराने की स्थिति में Line Producer के लिए अधिकार पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत फिल्म अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सम्बंधित विभागों को स्वतः ही पोर्टल से मेल हो जाती है। विभागों की सूची निम्नवत है :– 1. To the Office of District Magistrate 2. To Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police 3. To the concerned DFO / Ranger / Forest 4. To the concerned Kotwali / Police Station / Outpost in-charge यदि फिल्म का निर्माण केंद्र संचालित वन विभाग में होना है तो फिल्म विकास परिषद् द्वारा मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (CCF) और सम्बंधित प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को अनापत्ति जारी करने विषयक पत्राचार किया जाता है। फिल्म शूटिंग की अनुमति निःशुल्क 14 दिन के अन्दर E-mail: ufdc 2015@gmail. com के माध्यम से भी फिल्म निर्माता को प्रदान की जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	**फिल्मों को अनुदान।**	• उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग की गई हो, क्षेत्रीय भाषाओं/ बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख। • अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 15 लाख। • हिन्दी फिल्मों को फिल्म उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.5 करोड़ तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए फिल्मों की 75 प्रतिशत राज्य में शूटिंग की जानी होगी।	ऐसे फिल्म निर्माता, जिन्होंने फिल्मों के 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में की हो।	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा। तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय/खर्चो, अनुबन्ध, बीजक तथा अन्य अभिलेख (अन्य अभिलेख जैसे–CA certificate, Bank Statement) यदि फिल्म पार्टनरशिप में बनी है तो सम्बंधित दस्तावेज प्राप्त किये जाने होते है। इत्यादि विभाग में जमा कराने होते है। जिस पर फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा. मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदनार्थ/स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि फिल्म निर्माता के खाते में भुगतान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा)।

ग्राम्य विकास विभाग

चौबट्टाखाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

ग्राम्य विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। (MGNREGA)**	ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। योजना में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कुशल श्रमिक को लोक निर्माण विभाग में प्रचलित SOR के अनुसार मजदूरी दी जाती है जो वर्तमान में विभिन्न जनपदों में ₹ 450 –600/– प्रतिदिन के बीच है। अकुशल श्रमिक को 1 अप्रैल 2023 से ₹ 230/ – प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।	जॉब कार्ड धारक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य।	**जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं प्राप्तिः** कोई भी ग्रामीण परिवार, जो अकुशल श्रम रोजगार करने का इच्छुक हो, जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है। जॉब कार्ड बनाने हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड/बैंक पासबुक/वोटर आईडी/ आधार कार्ड नहीं होने पर राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है। छानबीन समिति द्वारा आवेदन सही एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर 30 दिन के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक जॉब कार्ड में परिवार के 6 सदस्य दर्ज हो सकते हैं। **कार्य की मांगः** जॉब कार्ड प्राप्त हो जाने के उपरान्त जॉब कार्ड में दर्ज कोई भी सदस्य निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में कम से कम 14 दिन के अंदर कार्य की मांग कर सकता है। यदि मांग किये जाने के 15 दिन तक कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक विकासखण्ड कार्यालय में जाकर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकता है।
2.	**दीनदयाल अन्त्योदय– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। (NRLM)**	योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को संगठित कर, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) बनाये जाते हैं ताकि वह आजीविका में सुधार के लिए समूह के माध्यम से कार्यो को शुरू कर सकें। समूह बनने के बाद समूह सदस्यों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता विभाग द्वारा दी जाती है। स्वयं सहायता समूह बनाने के उपरांत उसका बैंक खाता खोला जाता है तथा प्रत्येक समूह की न्यूनतम 1.5 लाख कैश केडिट लिमिट बैंक द्वारा दी जाती है, जिससे समूह जब भी कोई कार्य करना चाहे, उक्त धनराशि कभी भी ऋण के रूप में ले सकता है। सरकार द्वारा समूह के ऋण लेने पर, ऋण ब्याज की धनराशि पर सब्सिडी दी जाती है।	"सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011 सर्वे" (SECC-2011) एवं सहभागिता के आधार पर गरीबों का चयन किया जाता है तथा समूह बनाते समय उनको प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य रूप से गरीब महिलाओ, दलित और आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक ग्राम मे एक से अधिक समूह बना सकते है। सदस्यों की उम्र 18–65 वर्ष के बीच हो। लक्षित वर्ग की महिलाए	**समूह बनाने की प्रक्रिया–** ग्राम में सी.आर.पी. (Community Resource Person के माध्यम से ग्राम स्तर पर जाकर पात्र महिलाओं/परिवारों को समूह से जुड़ने हेतु मोटिवेट किया जाता है तथा समूह में काम करने हेतु इच्छुक होने तथा बैठकों में समय देने के लिए तैयार होने पर उनका समूह गठित किया जाता है। समूह हेतु पहाड़ी इलाकों में कम से कम 5 महिलाओं और मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 10 महिलाओं का होना अनिवार्य है इसमे उनके आधार कार्ड, पहचान–पत्र .समूह की महिला का नाम ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद समूह की बैठक आयोजित करने पर एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। समूह गठित होने पर विभाग द्वारा भारत

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			(पर्वतीय क्षेत्र की दशा में 5–10 तथा मैदानी क्षेत्र की स्थिति में 10–15 महिलाए)	सरकार के एनआरएलएम पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाती है। इसके बाद, समूह सदस्यों को, जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही समूह के सदस्यों द्वारा एक निर्धारित धनराशि भी समूह के खाते में जमा की जाती है। समूह की सप्ताहिक बैठक का दिन एवं समय भी निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समूह में छोटी–छोटी गतिविधियों के संचालन हेतु रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि दिया जाता है। समूह को वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक या वित्तीय संस्था से जोड़ा जाता है। समूह का खाता खोलने, बैंक से जोडने के दौरान विभागीय कार्मिक सहयोग करते हैं।
3.	**दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। (DDUGKY)**	ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, यूनिफार्म एवं किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।	ग्रामीण युवा जिसकी आयु 15 से 35 वर्ष हो। महिला, कमज़ोर जनजातीय समूह, पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयुसीमा निर्धारित है। बी.पी.एल. कार्डधारक परिवार अथवा पी.आई.पी. के माध्यम से चिन्हित परिवार। मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारक परिवार। एन.आर.एल.एम. स्वंय सहायता समूह के परिवार। एस.सी.सी.सी.– 2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। लाभार्थियों के चयन हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है।	आवेदन हेतु इच्छुक लाभार्थी www.kaushalpanjee.nic.in में जाकर candidate registration अपना पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु / जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र / दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है तथा उसके उपरांत को प्रवेश परीक्षा पास नहीं करनी होती है। विभाग के पास ऑनलाईन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से संबंधित आवेदक को प्रशिक्षण कहां पर आयोजित कराया जा रहा है, की सूचना उपलब्ध कराते हैं। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवां राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत, जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करायेगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	**प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण। (PMAY-G)**	चयनित पात्र लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु 1 लाख 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी कन्वर्जेस के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹ 12,000/– की धनराशि मनरेगा/स्वजल से एवं 95 मानव दिवस का श्रम रोजगार मनरेगा से प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा आवास पूर्ण होने पर किचन बर्तन खरीद हेतु मा. मुख्यमंत्री घोशणा के अन्तर्गत धनराशि ₹ 6,000/– की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।	**"सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011सर्वे" (SECC-2011)** एवं आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची से आवास हेतु पात्र लाभार्थी का चयन।	योजना अन्तर्गत पृथक से आवेदन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास हेतु **"सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे"** के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। एस.ई. सी.सी. 2011 सर्वे में छूटे हुए ऐसे परिवार जो पीएमएवाई–जी आवास की पात्रता धारित करते थे ऐसे परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक आवास प्लस सर्वे मोबाईल एप्प के माध्यम से कराया गया। आवास प्लस सर्वे सूची के आधार पर स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की गई जिसके आधार पर वर्ष 2020–21 से भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में पात्र लोगों को धनराशि सीधे उनके खाते में आवंटित की जा रही है।
5.	**रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स। (RBI)**	ग्राम्य विकास विभाग की एक अभिनव पहल है। ऐसे उद्यमियों को तकनीकी, व्यवसायिक, कानूनी सलाह, विपणन सहयोग आदि हेतु इन्क्यूबेटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड के ऐसे निवासी जो, किसी भी व्यवसाय को करने हेतु इच्छुक हों तथा 18 वर्ष से अधिक आयुसीमा के हो योजना हेतु पात्र हैं। राज्य में गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, जो व्यापार करना चाहते हों। ऐसे व्यक्ति जो पहले से चल रहे व्यवसाय को बढाना चाहते हों। तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हों। बिजनेस प्लान तैयार करने में सहायता चाहते हों। जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन चाहते हों। बाजार तक प्रोडक्ट एवं सर्विसेज की बेहतर पहुंच चाहते हों।	यदि राज्य का कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है परंतु उसको व्यवसाय करने की कोई जानकारी नहीं है जैसे–बैंक ऋण कहां से लेगा, सरकार से क्या सहायता मिलेगी, मार्केटिंग कैसे करेगा। वह जिला मुख्यालय में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स कार्यालय में जाकर व्यवसाय से संबंधित जानकारी/सहयोग तथा इन्क्यूबेटर्स की अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://ukrdd.uk.gov.in पर ऑनलाइन पर आवेदन भी कर सकता है या ईमेल rbiuttarakhand@gmail.com या फोन नंबर 7060463021 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के बारे में जनता को अवगत कराये जाने हेतु समय समय पर विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते है। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के पास फोन प्राप्त होने/आवेदन मिलने के उपरांत इन्क्यूबेटर्स कार्यालय द्वारा आवेदक से सम्पर्क किया जाता है। आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदक के उपस्थित होने पर उससे व्यवसाय/प्रशिक्षण तथा अन्य

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सहायता संबंधी विषय पर पत्रावली तैयार की जाती है तत्पश्चात जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर संबंधित क्रिया कलाप से सम्बन्धित को हार्ट्स के अन्तर्गत आर.बी.आई. द्वारा इन इन्क्यूबेटीज को सहयोग प्रदान किया जाता है । रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेर्स योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना एवं बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुये राज्य से युवाओं के पलायन को कम करना तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। राज्य के जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग (कुमाऊँ मण्डल के जनपदों हेतु) जनपद पौड़ी के कोटद्वार (गढ़वाल मण्डल के जनपदों हेतु) में आर.बी.आई.–हब की स्थापना की गयी है। शेष अन्य 11 जनपदों में आर.बी.आई.–स्पोक (वर्तमान में यह कार्यालय, जनपद के मुख्यालय में स्थापित कार्यालयों के साथ चल रहे हैं।) की स्थापना की गयी है। इस कार्यालय में यह सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैः– स्वरोजगार हेतु सहयोग, विशेषज्ञ परामर्श, बिज़नेस प्लानिंग सहयोग, मार्केटिंग सहयोग, व्यापार प्रशिक्षण, व्यापार पंजीकरण, बिज़नेस निवेश सहयोग, बिजनेस हेतु कानूनी अनुपालन
6.	**बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया।**	**बी.पी.एल. सूची में नाम जोडने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया**–शासनादेश सं० 76 / ग्रा.वि.वि / 2002 दिनांक 02 मई, 2003 द्वारा बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2002 हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसमें **गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गणना हेतु 13 सूचकॉक निर्धारित थे,** जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का बी.पी.एल. सर्वे कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में उनको लाभान्वित करने हेतु पात्र परिवारों के निर्धारण की कार्यवाही करना था। बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2002 निर्धारित समय सारिणी के अनुसार माह मई 2003 से माह सितम्बर 2003 तक सम्पन्न किया गया और शासन द्वारा अनुमोदित सूची विकास खण्ड मुख्यालय में उपलब्ध होते हैं। मा. उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पिटीशन 196 आफ 2001 दिनांक 17.2.2006 में दिये गये निर्णय **"Provisions will be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list 2002 on a continuous basis during the period that the list will be applicable"** एवं शासन के पत्र सं. 190 / दिनांक 02 मार्च, 2007 में **अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया जायेगा तथा नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया जायेगा,** के एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्र सं. 4667 / दि. 10.03.2008 द्वारा वित्तीय		

		वर्ष 2008–09 में **समय सारणी निर्धारित कर** तहसील स्तर पर आपत्तियाँ प्राप्त की गयी, जिसमें उनका निराकरण कर अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया गया था। जिनका प्रकाशन भी कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीपीएल में नाम जोडने एवं हटाने की प्रक्रिया 2008–09 के बाद नहीं की गयी है। **बी.पी.एल. प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया**– खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा बी.पी.एल. सर्वेक्षण–2002 सूची में सम्मिलित ग्रामीण पात्र परिवारों को बी.पी.एल. परिचय पत्र जारी किये गये। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
7.	**सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची।**	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 **(SECC)** में भारत सरकार द्वारा की गयी थी, जिसमें मानक निर्धारित कर, सर्वे किया गया था, मानक के अनुसार पात्र परिवारों को **(SECC)** में जोडा गया, जिसकी सूची ग्राम्य विकास विभाग के मुख्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। इस सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भविष्य में पुनः सर्वे के उपरांत ही परिवारों को हटाया/जोड़ा जा सकता है।

सहकारिता विभाग

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केन्द्र, 95 जन औषधि केन्द तथा राज्य की समस्त बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया।

सहकारिता विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना।**	योजनान्तर्गत कृषि कार्य हेतु ₹ 1.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्य (यथा पशुपालन, दुग्ध, मुर्गी पालन, मत्स्य, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, मसाला, मशरूम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी,कृषि प्रसंस्करण, कृषि– यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस आदि) हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूह को ₹ 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है।	सामान्य, लघु, सीमान्त कृषकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह, को जो उस क्षेत्र की सहकारी समिति के सदस्य अथवा जिला सहकारी बैंक में बचत खाताधारक हो। परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा। (लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो। सीमान्त कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो।) योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा। वर्तमान में योजना में कृषकों के लिये आय सीमा निर्धारित नहीं है।	रू0 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण हेतु आवेदक को सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है तथा सीधे बैंक से ऋण लेने की स्थिति में बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना पड़ेगा। आवेदक सबसे पहले बैंक / समिति से आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं कार्य योजना, वार्षिक आय / व्यय का विवरण तथा यदि कहीं से ऋण लिया हो तो तत्संबंधी जानकारी उल्लिखित करेगा। आवेदक के पास उपलब्ध चल / अचल सम्पत्ति जैसे जमीन, जमाधनराशि आदि। ऋण लेने हेतु 2 जमानतियों का होना आवश्यक है, जिनकी चल / अचल सम्पत्ति का विवरण भी मांगा जाता है। आवेदन पत्र के साथ जमीन संबंधी प्रमाण पत्र / खाता खतौनी, किसान कार्ड, के साथ उक्त फार्म संबंधिक बैंक / समिति में जमा करने के उपरांत गठित विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजना से आच्छादित कर ऋण प्रदान किया जाता है। ₹ 5 लाख तक के ऋण हेतु समूह द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट / प्रस्ताव जमा करना पडता है तथा यह ऋण व्यक्तिगत न मिलकर समूह को दिया जाता है। समूह का, सहकारी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजना से आच्छादित क्रिया–कलापों हेतु पंजीकृत होना चाहिए। उक्त योजनान्तर्गत वितरित अल्पकालीन ऋण ₹ 1 लाख (फसली ऋण) हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक। मध्यकालीन ऋण ₹ 3 लाख हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक भुगतान करना होगा तथा इस हेतु भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जाता है। ऋण लेने के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत किये गये अल्पकालीन कृषि ऋणों का फसल बीमा कराया जाना आवश्यक होगा। कृषि ऋणों का बीमा सहकारी बैंक स्वयं करवाता है। यदि किसी कृषक को किसी वर्ष ऋण नहीं मिलता है तथा उसे आगामी वर्ष में यदि आवश्यकता हो तो, आगामी वर्ष में विभाग उसके पूर्व में प्रेषित आवेदन को ही स्वीकार करेगा। **सहकारी समिति में सदस्य बनने की प्रक्रिया–** इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित समिति कार्यालय में सदस्यता हेतु आवेदन पत्र भरते हुये ₹ 108 / – सदस्यता शुल्क के रूप में जमा कर समिति सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संचालक मण्डल सम्बन्धित समिति द्वारा सदस्यता हेतु किये गये आवेदन पर विचार कर सम्बन्धित आवेदक की सदस्यता स्वीकार / अस्वीकार की जाती है। सदस्य बनने हेतु उसी क्षेत्र में जमीन संबंधी प्रमाण पत्र, पटवारी से प्रमाणित किसान कार्य संबंधी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
2.	**मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना।**	उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को **हरा मक्का के साथ पोषक तत्व मिलाते हुये पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार तैयार कर ₹ 2.75 प्रति किग्रा की दर से** उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत सायलेज के विक्रय मूल्य ₹ 9.00 प्रति किग्रा पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा परिवहन लदान ढुलान आदि व्ययों पर ₹ 3.00 प्रति किग्रा की दर से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फलस्वरूप **लाभार्थी को ₹ 2.75 प्रति किग्रा की दर से सायलेज उपलब्ध हो रहा है।**	पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त पशुपालक / महिलाएं योजना मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही लागू है।	पशुपालक / महिला, सायलेज की मांग हेतु सीधे सम्बन्धित समिति के सचिव को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र के रूप में अवगत कराते हुये सायलेज की मांग करेंगे। **प्रार्थना पत्र के साथ** पशुपालकों को समिति क्षेत्र में निवासरत् रहने से सम्बन्धित अभिलेख, आधार कार्ड आदि उपलब्ध कराने पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी समितियां काफी दूर होती हैं, दूरस्थ होने की स्थिति में महिलाओं द्वारा उक्त के उपरान्त आगामी मांग दूरभाष / व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इस योजना में सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उक्त मांगानुसार पशुपालक / महिलाएं, सहकारी समितियों के कार्यालयों / केन्द्र में निर्धारित शुल्क जमा कर, सायलेज / टोटल मिक्स राशन / चारा प्राप्त करेंगे।
3.	**मोटर साईकिल टैक्सी योजना।**	आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक / यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व छोड़ने हेतु स्कूटर अथवा मोटर साईकिल को क्रय करने हेतु 2 वर्ष तक, कुल धनराशि का 75 प्रतिशत	आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष से कम हो। आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाईसेन्स हो। आवेदक किसी वित्तीय संस्था / सहकारी	आवेदक स्कूटर अथवा मोटर साईकिल, खरीदने हेतु संबंधित क्षेत्र के सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कोटेशन तथा उसमें मोटरसाइकिल की एक्सशोरूम कीमत, ड्राइविंग लाइसेंस, दो जमानतियों का विवरण, संलग्न करेगा तथा संबंधित बैंक में ही जमा करेगा। आवेदन पत्र जमा होने के बाद जांच उपरान्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अथवा ₹ 1.75 लाख जो भी कम हो, प्रति स्कूटर / मोटर साइकिल पर ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक अधिकतम 10 स्कूटर / मोटरसाइकिल खरीद सकता है।	संस्था का बकायेदार न हो, आवेदक का न्यूनतम सिविल (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी) स्कोर 700 से कम न हो।	स्तरीय कमेटी के सम्मुख चयन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जायेगें। सम्बन्धित शाखाओं द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये ऋण स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुये, स्वीकृत ऋण की धनराशि सीधे उस संस्था / फर्म को प्रेषित की जायेगी, जिससे मोटर साईकिल वाहन क्रय किया जाना है। ऋण की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से 01 माह के बाद से प्रतिमाह 35 समान किस्तों में की जायेगी।
4.	ई–रिक्शा कल्याण योजना।	बेरोजगार युवक / युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बचत खाता में मूल्य ₹ 12 वार्षिक प्रीमियम पर 02.00 लाख ₹ के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थी बचत खाते पर मूल्य 330 ₹ प्रीमियम जमा करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं।	योजना के लिये स्थानीय बेरोजगार पात्र होगें। उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो। पात्र व्यक्ति का स्वयं का वैध ड्राईविंग लाईसेन्स। लाभार्थी की आयु अधिकतम 55 वर्ष हो।	आवेदक, ई–रिक्शा खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए क्षेत्र के नजदीकी, सहकारी बैंक में जाकर आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा तथा आवदेक का सम्बन्धित सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदक एवं 2 गारंटरों का बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनाया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रारूप के साथ डीलर का कोटेशन, दो गारंटरों का विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित बैंक का बैंक खाता विवरण, वोटर आई0डी0 जिसमें स्थानीय पता अंकित हो अथवा बिजली का बिल, पानी का बिल, जो पात्र व्यक्ति से सम्बन्धित हो प्रस्तुत करना होगा एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा। प्रदेश के ऐसे बेरोजगार जो शहरी अथवा अर्द्धशहरी / ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हों तथा किराये पर हों उन्हें किरायेनामे का प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सही पाये जाने पर, बैंक द्वारा धनराशि सीधे डीलर को प्रदान की जाती है तथा उसके उपरांत प्रतिदिन की किस्त / प्रतिमाह की किस्त बनाकर आवेदक 9 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि जमा करता रहेगा।

कृषि विभाग

गांव क्षेत्र में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में 'लाइन शोइंग' विधि से मंडुआ की बुआई करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

जनपद टिहरी में मा. मुख्यमंत्री जी पॉवर वीडर (आधुनिक कृषि यंत्र) के माध्यम से खेत की जुताई करते हुए।

कृषि विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। (PM-Kisan)**	इसके अन्तर्गत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6 हजार रूपये (₹ 6000/–) ट्रांसफर किये जाते हैं। प्रति 4 माह में ₹ 2000/– दिये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त भूमि धारक किसान, जिनके नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन हो। आर्थिक रूप से सम्पन्न निम्न वर्ग के लोग इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होगें :– सभी संस्थागत भूमिधारक, ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है, पात्र नहीं होंगे :– **(क)** संवैधानिक पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति। **(ख)** पूर्व तथा वर्तमान मंत्री/ राज्यमंत्री, पूर्व तथा वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा सदस्य/विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान मेयर/नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष। **(ग)** केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों/क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त कार्यरत/ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्र / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों,	आवेदक/पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट/ पोर्टल पर www. pmkisan.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो, राशन कार्ड संख्या। उक्त योजना में पंजीकरण करने के उपरांत विभागीय स्तर से जांच की जाती है, जांच में दस्तावेज सही पाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है। यदि कोई किसान स्वतः पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण करने में असमर्थ हो तो नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी/

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राज्य / केंद्र के अन्तर्गत स्वायत उपक्रम के अधिकारी / कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर **(घ)** सभी सेवानिवृत्त / अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके पेंशनधारी जिनकी पेंशन प्रतिमाह ₹ 10,000 अथवा ₹ 10,000 से अधिक हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर)। **(च)** गत वर्ष के आयकार दाता। **(छ)** प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे– डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टेड एकाउण्टेन्ट तथा आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर उपक्रम (प्रोफेशन बॉडी) में पंजीकृत हों तथा पेशे से सम्बन्धित प्रैक्टिस कर रहे हों।	जनपदीय कृषि अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेज ले जाकर ऑनलाइन आवेदन करने में विभाग द्वारा सहयोग किया जाता है। पीएमकिसान हेल्पलाइन नं0 155261 एवं 011–24300606 के टोलफ्री नंबर पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2.	**प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। (PM-KMY)**	स्त्री और पुरूष दोनों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.00 (₹ तीन हजार) प्रत्येक माह पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु इस हेतु 18 से 40 वर्ष की उम्र के भीतर पंजीकरण करना होता है एवं ₹ 55 से 200 प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान (किसान द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि) कुल 60 वर्ष तक जमा करना होता है तथा उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाती है।	सभी छोटे एवं मझौले किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जी जमीन हो) तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि होनी चाहिए एवं किसान का नाम अभिलेखों में दर्ज हो। किसान आयकर दाता न हो।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी किसान वेबसाइट www.pmkmy.gov.in पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र (C.S.C.) में सम्पर्क कर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :—किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो। पंजीकरण करने के उपरांत एक नोमिनेशन फार्म भरना होता है, जिसको प्रिंट करने के उपरांत पुनः अपलोड करना पडता है साथ ही खाते से प्रतिमाह अंशदान कटौती की अनुमति देनी होती है। प्रथम किस्त उसी समय भुगतान की जाती है। अंतिम रूप में पंजीकरण होने पर किसान मानधन पेंशन नंबर जारी होता है तथा पेंशन नंबर भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का आवश्यक दस्तावेज है। प्रतिमाह जो अंशदान धनराशि है वह किसान के खाते से कटौती होती है और उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। धनराशि की कटौती 60 वर्ष तक होती है। 60 वर्ष पूरे होने पर ₹ 3000/— पेंशन की धनराशि मिलने लग जाती है। भविष्य में पेंशन हेतु पेंशन निधि प्रबंधन और पेंशन भुगतान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरदायी है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3.	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। (PMFBY)**	प्राकृतिक आपदाओं जैसे –बारिश, ओलावृष्टि, आकाश बिजली, बाढ़, सूखा, कीट पतगों, चक्रवात एवं भूस्खलन से फसलों की बुवाई से कटाई तक नुकसान की भरपाई की जाती है। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक (चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि) आपदा से हुए नुकसान पर भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। जानवरों से होने वाला फसल नुकसान इस योजना में सम्मिलित नहीं है। **क्षतिपूर्ति बीमित क्षेत्रफल का भुगतान और बीमित धनराशि पर निर्भर करता है। प्रीमियम की धनराशि**– रबी की फसल हेतु किसान को बीमित धनराशि का अधिकतम **1.5 प्रतिशत** प्रीमियम भुगतान करना पडता है तथा **खरीफ** की फसलों पर बीमित धनराशि का अधिकतम **2 प्रतिशत** भुगतान करना पडता है। अन्य समस्त धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।	खेती करने वाले प्रदेश के सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के साथ–साथ बटाईदार किसान (जो किसी अन्य की खेती पर खेती करते हों) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। **किसान निम्न फसलों का बीमा करा सकते हैं :–** i. खरीफ–चावल, मण्डुवा (समस्त जनपद) ii. रबी–गेहूं (समस्त जनपद), मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़)	फसल बीमा करने हेतु सर्वप्रथम पात्र किसान PMFBY वेबसाइट www.pmfby.gov.in पंजीकरण कर सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो. नं. तथा जमीन संबंधी दस्तावेज, बटाइदार होने की स्थिति में इकरारनामा / एफिडेविट अपलोड करने होंगे। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हों तो, जन सेवा केन्द्र (C.S.C.) / नजदीकी बैंक / पोस्ट ऑफिस / बीमा कम्पनी एजेन्ट के माध्यम (AIDE ऐप) उक्त दस्तावेजों को ले जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत किसान को बीमित धनराशि के सापेक्ष प्रीमियम धनराशि भुगतान करनी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इन्श्योरेंश लि. (टोल फ्री नं.– 18005723013) एवं अपने जनपद के कृषि एवं राजस्व विभाग को सूचित करें। उसके उपरांत उक्त तीनों विभागों द्वारा जांच की जाती है। जांच में नियमानुसार फसल क्षति पाये जाने पर, भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। बीमा का लाभ लेने

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				हेतु समय पर बीमा प्रीमियम का भुगतान, फसल बीमा में उल्लेखित सभी शर्तो और नियमों का पालन करें।
4.	**सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)**	किसानों को समय–समय पर आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि प्रदर्शनी, मेले, कृषक गोष्ठी का आयोजन एवं किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाता है। कृषक वैज्ञानिक संवाद कराया जाता है। **फार्म स्कूल**–जिसमें प्रदर्शनी हेतु कृषक को निःशुल्क बीज, खाद तथा रसायन उपलब्ध कराया जाता है तथा वहां पर 30 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। **प्रगतिशील कृषक जो खेती–बाड़ी में अच्छा कार्य कर रहें हैं उन्हें पुरूस्कृत किया जाता है। प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार धनराशि दी जाती है–** विकासखण्ड स्तर ₹ 10,000 (दस हजार मात्र)–किसान श्री जनपद स्तर ₹ 25,000 (पच्चीस हजार मात्र) किसान भूषण राज्य स्तर ₹ 50,000 (पचास हजार मात्र)– किसान रत्न	प्रदेश के किसान को इस योजना का पात्र माना जायेगा। किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा किसान का नाम भूमि संबंधी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए।	किसान यदि **प्रशिक्षण / एक्सपोजर विजिट / कृषि वैज्ञानिक संवाद** प्राप्त करना चाहता है तो अपने जनपद के न्याय पंचायत या सहायक कृषि अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, इकाई स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी / परियोजना निदेशक (आतमा) के नाम से प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखकर आवेदन कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र / अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। **किसान पुरस्कार** प्राप्त करने हेतु जनपद के कृषि कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विज्ञापन के उपरांत एडीओ कृषि / विकास खंड कृषि कार्यालय / जनपद स्तरीय कृषि कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित अवधि के भीतर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो.नं., कृषि क्षेत्र में उल्लेखीय कार्य

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर विजिट करने संबंधी प्रमाण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड / पशुनस्ल सुधार कार्ड, यदि किसान क्रेडिट कार्ड लिया हो तो तत्संबंधी विवरण, फसलबीमा / पशु बीमा कराया हो तो तत्संबंधी प्रमाण, स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो, किसी समिति / संगठन के सदस्य हों तो, उसका विवरण, तथा फसल उत्पादन, उससे होने वाले लाभ, जमीन आदि विवरण संलग्न कर जनपद स्तरीय कार्यालय में जमा करना पडता है। जमा करने के उपरांत कृषकों का चयन ब्लॉक स्तर पर गठित कृषक सलाहकार समिति की खुली बैठक में विभागीय अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तथा अन्तिम अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित Governing body Board Meeting (आतमा शासी निकाय की बैठक) में किया जाता है।
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। (NFSM)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत खेती के रकबे का विस्तार, चावल, गेहूं, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध एवं मृदा प्रबन्धन, यंत्र वितरण, कृषक प्रशिक्षण स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन तथा कस्टम हायरिंग हेतु सहायता दी जाती है।	प्रदेश के किसान को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा राजस्व अभिलेखों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है

<table>
<tr><th>क्र</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता / लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान कृषकों को देय है :
क्लस्टर प्रदर्शन–
• ₹ 9000 प्रति है० (धान,गेहूँ व दलहन)
• 6000 प्रति है० (मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज व सोयाबीन)
• ₹ 3000 प्रति है०, (तोरिया / सरसों / राई / तिल)
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>कार्य मद</th><th>अनुदान के मानक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्रॉपिंगसिस्टम बेस्ड प्रदर्शन</td><td>₹ 15000 प्रति है०</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">बीज वितरण</td><td>हाइब्रिड–राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या ₹ 10,000 / कुंतल जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>सोयाबीन / तोरया / सरसों / राई–मूल्य का 50% या ₹ 4000 / कुंतल जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियाँ)</td><td>अरहर, मूंग, उड़द, चना, गहत, मसूर आदि–
मूल्य का 50% या ₹ 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो
रागी / मण्डुवा / सांवा / झंगोरा –मूल्य का 50% या ₹ 3000.00 प्रति कु० जो भी कम हो
तिलहन– आधारीय बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या ₹ 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या ₹ 2500 प्रति कु० जो भी कम हो)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पौध एवं मृदा प्रबन्धन</td><td>सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण–मूल्य का 50% या ₹ 500 / हैक्टेयर जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>5</td><td>यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र</td><td>मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप मूल्य का 50% / एस.एम.ए.एम. मानक के अनुसार</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कृषक प्रशिक्षण–</td><td>₹ 3500 / सत्र या ₹ 14,000 प्रति प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td>7</td><td>लोकल इनसियेटिव–</td><td>50 घन मी० अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन.एम.एस.ए के मानको के अनुसार) ₹ 2.50 लाख / है०</td></tr>
<tr><td>8</td><td>स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन</td><td>₹ 9900 / है०</td></tr>
</table></td><td></td><td>एवं विभाग संबंधित किसान को बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र आदि दिये जाते हैं।
यदि किसान किसी ग्राम सभा / जनप्रतिनिधि के माध्यम से न जाना चाहे, तो वह संबंधित न्यायपंचायत के कृषि निवेश केन्द्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।</td></tr>
</table>

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से बीज उत्पादन (सभी फसलों के 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), फसल उत्पादन (सभी फसलों के बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), जैविक खेती (वर्मी कम्पोस्ट खाद, जैविक पिट, 50 प्रतिशत सब्सिडी पर एवं बहुउद्‌देशीय जल संरक्षण टैंकों का निर्माण किया जाता है, इसमें भी 50 प्रतिशत धनराशि सब्सिडी में दी जाती है।	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा राजस्व अभिलेखों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत संबंधित किसान को बीज, वर्मी कम्पोस्ट खाद, टैंक निर्माण आदि किये जाते हैं। तदोपरांत विभाग द्वारा जांच करने के बाद, किसान बीज न्याय पंचायत स्तर के कृषि निवेश केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा टैंक निर्माण विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर स्वयं करवाया जाता है।
7.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.)	प्रदेश के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराना। किसान के खेत की मिट्‌टी की जांच की जाती है। सभी 13 जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें संचालित हैं। किसानों को यह जानकारी प्रदान की जाती है कि उनके खेत की मिट्‌टी के अन्दर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग जाना जाता है। कृषकों की मिट्‌टी का नमूना जांच निःशुल्क है।	प्रदेश के समस्त भूमिधर कृषक जो कृषि कार्य से जुड़े हो।	सबसे पहले किसान को अपने खेत की मिट्‌टी का नमूना लेना होता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है :– किसान अपने खेत में 6 जगह निर्धारित करे, जहां से वह नमूना लेना चाहते हैं उसके बाद जिस जगह से नमूना लेना है वहां साफ कर लें जैसे–मिट्‌टी की ऊपर की घास आदि। मृदा जांच हेतु सूखी मिट्‌टी प्रयोग में लायी जाती है। यदि एकत्रित किया गया मृदा नमूना नमीयुक्त हो तो उसे छांव में सूखा लिया जाता है, जिससे नमूना वायु शुष्क हो जाये।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर अथवा इससे कम तक की कृषि जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा यह कार्ड 03 वर्ष तक वैध होता है।		नमूना लेने के लिए फावड़े या खुरपी से 6 इन्च गहरा, 6 इन्च लम्बा और 4 इन्च चौड़ा वी. आकार का गड्डा बना लें। अब इस गड्डे के किनारे–किनारे दीवार से ऊपर से नीचे लगभग 1–2 इंच मिटटी इकठ्ठा कर लें इस इकठ्ठा की गयी मिट्टी को निकाल कर साफ जगह पर रख लें। इस तरह से खेत के 6 जगह से मिट्ट इकठ्ठी करनी है। मिट्टी इकठ्ठा कर ले तो सभी को अच्छी तरह मिल ले और उनमें से कंकड़ पत्थर या घास य जड़ हो तो उसे हटा दे। अच्छी तरह मिलायी गयी मिट्टी को चार बराबर भागों में बांट दें और 2 भाग को बाहर निकाल कर फेंक दें और बचे दो भाग को रख लें। बचे हुए 2 भाग को फिर से अच्छी तरह मिला दे और फिर उन्हें चार बराबर भागों में बांट दें और फिर 2 भाग को हटा दें। यह प्रक्रिया तब तक करनी है, जब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। आधा किलो मिट्टी जांच के लिए सही नमूना है। इस आधा किलो मिट्टी के नमूनें को साफ थैले में रखकर, थैले में एक पर्ची डालनी है जिसमें किसान का नाम–पूरा पता–खसरा नम्बर–मो.नं.–कौन सी फसल लेना चाहते हैं उसकी जानकारी– उल्लिखित करनी होगी तथा नमूने के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मो.नं. आदि

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				होने चाहिए इस नमूनें को किसान अपने जनपद के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में स्वयं अथवा अपने न्याय पंचायत के सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते है। जमा करने के बाद जब इस नमूने की जांच हो जाती है तो किसान को उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके हिसाब से वह खेती कर सकता है और खाद, उर्वरकों का उपयोग कर सकता है। सुदूर जनपद में यदि किसान मुख्यालय नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने न्याय पंचायत के कृषि विभाग के प्रभारी से सम्पर्क कर मृदा परीक्षण सुविधा का लाभ उठा सकता है, तथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं मो. नबंर की आवश्यकता होगी।
८.	**राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन योजना। (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यकम) (NMSA-RAD)**	योजना का संचालन कलस्टर आधारित (किसानों के समूह, जिसमें न्यूनतम 2 से 5 किसान होने अनिवार्य हैं अधिकतम कितने किसान भी हो सकते हैं।) है, यह मात्र एक किसान के लिए नहीं है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से जुडी गतिविधियों जैसे–मुर्गी पालन, मौन पालन, पशुपालन एवं जैविक खेती, पालीहाउस आदि समूह बनाकर की जाती हैं। कृषि एवं कृषि से जुडी गतिविधियों यथा समेकित कृषि प्रणालियों का विवरण एवं अनुदान / लाभ के मानक निम्नवत हैं – **उद्यान आधारित फसल प्रणाली**–जहाँ कृषकों की आजीविका अधिक से अधिक उद्यान आधारित हो।	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम आवश्यक है। किसान को योजना का लाभ लेने हेतु, संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा गठित क्लस्टर का सदस्य होना चाहिए अथवा सदस्य न होने की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर से जोडा जाता है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते है तथा प्रस्ताव पास होने पर (जिसमें सभी किसान जो, कॉलम 2 में अंकित कार्यो को करने हेतु इच्छुक हों, का समूह बनाया जाता है।) संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		इसके अन्तर्गत प्रति है० ₹ 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। **पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–** कृषकों की आजीविका पशुपालन पर आधारित हो, इसके अन्तर्गत प्रति है० ₹ 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। **दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–** जहाँ कृषकों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० ₹ 40000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। **मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–** जहाँ कृषकों की आजीविका मत्स्य उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० ₹ 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। **वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–** जहाँ कृषकों की आजीविका वृक्ष उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० ₹ 15000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। **कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली–** जहां कृषकों की आजीविका कृषि वानिकी पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० ₹ 15000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। **(ख) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण के अन्तर्गत अनुदान मानक–** **ग्रीनहाउस एवं लो–टनल पॉलीहाउस (ट्यूबलर) का निर्माण** – संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या ₹ 530.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो।	**यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों, जहां पर बारिश नहीं होती / कम होती है, वहां पर लागू की जाती है।**	करने के उपरांत जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित किसानों को समेकित कृषि प्रणालियों (जो कॉलम 02 में अंकित हैं) का कार्य सम्पन्न होने के बाद क्लस्टर के अध्यक्ष के खाते में डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाता है। किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nmsa.dac.gov.in पर जाकर कर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता, कृषि जमीन संबंधी दस्तावेज जिसमें किसान का नाम अंकित हो, उल्लेख करना होगा। उसके उपरांत विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है तथा किसान को संबंधित समूह मे जोड़ा जाता है। कृषि समेकित कार्यो को करने के उपरांत लाभ संबंधित क्लस्टर के अध्यक्ष के खाते में डीबीटी होता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		मौन पालन— मौन पालन कॉलोनी हेतु लागत का 40% या ₹ 800.00 प्रति कॉलोनी जो भी कम हो। **साइलेज इकाई का निर्माण**— इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का शत्–प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1.25 लाख प्रति कृषक परिवार। **पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज**— इसके लिए लागत मूल्य का 50% या ₹ 4000.00 प्रति वर्ग मीटर एक इकाई हेतु अनुदान की सीमा ₹ 2.00 लाख / इकाई। **वाटर लिफ्टिंग डिवाइस**— इलेक्ट्रिक / डीजल इकाईयों हेतु मूल्य का 50% या अधिकतम ₹ 15000.00 प्रति इकाई। **वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें**— संरचना निर्माण लागत मूल्य का 50% या अधिकतम ₹ 125.00 प्रति घन फीट, स्थायी वर्मी कम्पोस्ट संरचना हेतु अधिकतम सहायता सीमा ₹ 50,000.00 प्रति इकाई, जबकि एच.डी.पी.ई. वर्मीशेड हेतु अधिकतम ₹ 8,000.00 प्रति इकाई राज सहायता देय है।		
9.	**परम्परागत कृषि विकास योजना।** (P.K.V.Y.)	यह योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन करने हेतु है, जिसमें जैविक खेती करने के लिए जैविक बीज, कम्पोस्ट, हरी खाद, बायोफर्टीलाइजर बायोपेस्टिसाइड, नीम ऑयल, प्रोम, वर्मी कम्पोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर आदि के लिए किसानों को ₹ 9000 प्रति है० की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।	प्रदेश के सभी मूल निवासी किसान नागरिक इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं। केवल किसान श्रेणी के नागरिक (जिनके पास भूमि हो, तथा जमीनी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित हो) ही योजना में आवेदन करने पात्र माने जायेंगे।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत तथा किसान द्वारा जैविक खेती में उपयोग किये जाने वाले जैविक खाद, बीज आदि कृषि निवेश केन्द्रों से खरीदने के उपरांत लाभ दिया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				लाभ लेने हेतु किसानों को प्रस्ताव के साथ स्थायी / मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मो.नं., राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कृषि जमीन की खसरा खतौनी तथा किसान नागरिक की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। किसान वेबसाइट http://pgsindia-ncof.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतु उक्त दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जैविक निवेश करने के उपरांत सब्सिडी धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है।
10.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। (PMKSY)	प्रदेश के समस्त जिलों में खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु है। इस योजना में नये जल स्त्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्त्रोतों को सुदृढीकरण करना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण तथा परम्परागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाये जाते हैं। किसान इस योजना के अन्तर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे फव्वारा (स्प्रिंक्लर) सिंचाई, बूंद–बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।	प्रदेश का किसान नागरिक होना चाहिए। यह राज्य के समस्त जनपदों हेतु है। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए एवं कृषि भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित होना अनिवार्य है।	किसान अपने खेत एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो विभागीय अधिकारियों एवं मा. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है, में प्रस्ताव लायेगा तथा प्रस्ताव पास होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कॉलम 3 में अंकित कार्यों के निर्माण / लागत विवरण संबंधी प्रस्ताव, किसान के साथ मिलकर, तैयार किया जाता है तथा जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य कृषि विभाग द्वारा करवाया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उक्त कार्यो को करने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार निम्न अनुदान दिया जाता है– **सामूहिक जल टैंक** – मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 2.50 लाख अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है परंतु कमांड क्षेत्रफल (सिंचित होने वाला क्षेत्रफल) 01 है० होना चाहिए। **सामूहिक चैक डैम**– मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 2.50 लाख / संरचना 01 है० **जल पम्प** – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 15,000 / इकाई **गहरी एवं उथली ट्यूबेल**– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25,000 / इकाई **गहरी ट्यूबेल** – मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1,00,000 / इकाई **जल संरक्षण का पुनरूद्धार एवं मरम्मत**– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 15,000 / इकाई **मिनी स्प्रिंक्लर सेट** – मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 64,7,17 / है० **माइक्रो स्प्रिंक्लर सेट** – मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 44,7,57 / है० **पोर्टबल स्प्रिंक्लर सेट** – मूल्य का 45 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 26,3,13 / है०		कार्य सम्पन्न होने के बाद किसान से संबंधित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो0नं0, कृषि जमीन संबंधी राजस्व अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं एवं बाद में कॉलम 3 में अंकित सब्सिडी का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाता है।
11-	**सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन। (SMAM)**	योजना के तहत् प्रदेश के सभी किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु एस.सी. / एस.टी. / लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए, 50 प्रतिशत एवं बडे किसानों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान / आर्थिक सहायता दी जाती है, विवरण निम्नवत है :–	किसान उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तथा 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त एस.सी. / एस.टी. / लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए है।	सर्वप्रथम कृषि विभाग / जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त यंत्रों की सब्सिडी पर खरीद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के भीतर ही इस योजना का लाभ पाने के लिए

क्र	योजना का नाम	लाभ			पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		क्र	यंत्र का नाम	अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए.एम. के अनुसार।	पात्र किसान का नाम, खेती योग्य जमीन के राजस्व अभिलेखों में अंकित हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं अथवा नदजीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता तथा जमीन संबंधी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि किसी जाति विशेष से हो) अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज उसी जनपद के होने चाहिए जिस जनपद में कृषि जमीन हो। यदि किसान को ऑनलाईन आवेदन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात, पंजीकरण संख्या/प्रमाण संबंधित किसान को प्राप्त होता है। फिर किसान कृषि विभाग के अंतर्गत पैनल फर्म से, जो वेबसाइट में उल्लिखित हों, उससे संबंधित यंत्र खरीदेगा उसके उपरांत बिलों को, जो पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है उसी में अपलोड करेगा। तदोपरांत कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बिलों की जांच की जाती है तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे कृषक के खाते में किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाईन आवेदन में "पहले आओ पहले पाओ" की व्यवस्था
		1	पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम ₹ 65000.00 जो भी कम हो।		
		2	पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक	50% या अधिकतम ₹ 85000.00 जो भी कम हो।		
		3	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम ₹ 25000.00 जो भी कम हो।		
		4	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम ₹ 35000.00 जो भी कम हो।		
		5	पावर वीडर पावर चालित 5 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम ₹ 63000.00 जो भी कम हो।		
		6	चैफ कटर (power /drawn below 3 hp)	50% या अधिकतम ₹ 20000.00 जो भी कम हो।		
		7	चैफ कटर (power /drawn below 3 to 5 hp)	50% या अधिकतम ₹ 28000.00 जो भी कम हो।		
		8	चैफ कटर मानव चालित	50% या अधिकतम ₹ 6300.00 जो भी कम हो।		
		9	ब्रश कटर	50% या अधिकतम ₹ 40000.00 जो भी कम हो।		
		10	नैपसेक स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित)	50% या अधिकतम ₹ 750.00 जो भी कम हो।		
		11	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित)	50% या अधिकतम ₹ 3800.00 जो भी कम हो।		
		12	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) 16 ली0 क्षमता	50% या अधिकतम ₹ 10000.00 जो भी कम हो।		
		13	मल्टीक्रॉप थ्रैसर (4 टन प्रति घंटा पावर 5 एच पी से अधिक)	50% या अधिकतम ₹100000.00 जो भी कम हो।		
		14	थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50% या अधिकतम ₹100000.00 जो भी कम हो।		
		15	पैडी थ्रैसर/ (5 एच0 पी0 से कम)	50% या अधिकतम ₹ 40000.00 जो भी कम हो।		
		16	थ्रैसर (5 एच.पी. से कम)	50% या अधिकतम ₹ 40000.00 जो भी कम हो।		

क्र	योजना का नाम	लाभ			पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		17	ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम ₹ 2.50 लाख जो भी कम हो।		लागू है, इसमें प्रत्येक जनपद में टारगेट निर्धारित हैं, टारगेट पूरा होने पर किसान को आगामी वर्ष में पुनः आवेदन करना पड़ेगा।
		18	ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम ₹ 4.25 लाख जो भी कम हो।		
		19	रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)	50% या अधिकतम ₹ 2.50 लाख जो भी कम हो।		
		20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम ₹ 1.30 लाख जो भी कम हो।		
		21	लेजर लेण्ड लेवलर	50% या अधिकतम ₹ 2.00 लाख जो भी कम हो।		
		22	सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम ₹ 1.05 लाख जो भी कम हो।		
		23	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम ₹ 0.213 लाख जो भी कम हो।		
		24	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम ₹ 0.241 लाख जो भी कम हो।		
		25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम ₹ 0.448 लाख जो भी कम हो।		
		26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम ₹ 0.476 लाख जो भी कम हो।		
		27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम ₹ 0.504 लाख जो भी कम हो।		
		28	पलवराईजर आटा चक्की	50% या अधिकतम ₹ 35000.00 जो भी कम हो।		
		29	वाटर लिटिंग पम्प 10 एच.पी. तक	50% या अधिकतम ₹ 18000.00 जो भी कम हो।		
		30	मंडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम ₹ 10000.00 जो भी कम हो।		
		31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम ₹ 10000.00 जो भी कम हो।		
		32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम ₹ 10000.00 जो भी कम हो।		
		33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम ₹ 1200.00 जो भी कम हो।		
		34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान।		

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
12.	**सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर/बडे किसानों हेतु। (SMAM)**	कस्टम हायरिंग सेन्टर (ऐसे कृषकों के समूह जो मात्र कृषि यंत्रों की खरीद/किराये पर देने/बेचने का कार्य करते हों) के अन्तर्गत कृषक समूह/सहकारिता समूह/ एफ.पी.ओ./स्वयं सहायता समूह/कृषक, जो ₹ 10.00 लाख से लेकर ₹ 100.00 लाख तक के यंत्र अनुदान पर क्रय कर सकता है। जिस पर अनुदान के रूप में अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के बडे कृषकों (जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन हो), सहकारिता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए है। पात्र किसान/समूहों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। व्यक्तिगत बडे किसान की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में नाम होना चाहिए तथा समूह की स्थिति में समूह के सदस्यों का कृषि जमीन संबंधी दस्तावेजों में नाम होना चाहिए।	समस्त प्रक्रिया क्रमांक 11 के अनुसार होगी परंतु समूह के आवेदन करने की स्थिति में समूह/कस्टम हायरिंग सेंटर का बैंक खाता, समूह के अध्यक्ष की फोटो, समूह के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, समस्त सदस्यों के जमीन के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
13.	**इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विभाग – उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।**	किसान पहले अपनी फसल को कटाई के बाद नजदीकी मंडी में ले जाते हैं एवं अपनी जगह का एक निर्धारित आढत मंडी समिति को देने के बाद, फसल या तो स्वयं मंडी में बेचते हैं या किसी बिचौलिए को औने–पौने दामों में बेचकर घर आ जाते हैं, परंतु किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके इस हेतु ई–नाम नामक एक ऑनलाईन मण्डी/बाजार किसानों के लिए तैयार किया है, जिसमें किसान अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करने हेतु, फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसमें किसान किसी बिचौलिये को अपनी फसल न देकर स्वयं बेच सकता है, स्वयं देख सकता है कि उसकी फसल के कितने रूपये किस क्षेत्र/जनपद/राज्य से ज्यादा मिल रहा है, फिर उसी को बेच सकते हैं। इसमें किसान की कृषि उपज की गुणवत्ता परख प्रयोगशाला में निर्धारित की जाती है,	राज्य के समस्त किसान, जो अपनी फसल को ई–नाम के माध्यम से बेचना चाहता है, पात्र होंगे।	किसान/विक्रेता कभी भी स्वयं/मंडी समिति के सहयोग से ई–नाम (eNAM) पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है, जिसमें किसान/विक्रेता का मूल विवरण, मांगा जाता है। मुख्यतः आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता एवं जमीन संबंधी दस्तावेज अनिवार्य हैं, पंजीकरण के उपरांत इसकी संस्तुति (approval), समिति द्वारा की जाती है। किसान अपनी फसल को ऐसी मंडी समिति जो ई–नाम में पंजीकृत है, उसके पास ले जायेगा उसके उपरांत किसान/विक्रेता की कृषि उपज का लाट (ढेरी संख्या) मंडी समिति द्वारा जारी की जाती है, लाट की परख करके, ग्रेड निर्धारित करके, मंडी

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जिसके फलस्वरूप, विक्रेता / किसान को उपज का प्रतिस्पर्धात्मक / अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है तथा आनलाईन विक्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान सीधे विक्रेता / किसान के बैंक खाते में प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड राज्य में 16 मंडी समितियों में ई–नाम योजना संचालित की जा रही है। आगामी माहों से 20 मण्डी समितियों में ई–नाम योजना संचालित हो जायेगी।		टैक्नीशियन द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, विक्रेता की सहमति से न्यूनतम बिड / बोली की धनराशि एवं बिड / बोली अवधि निर्धारित की जाती है एवं बिड का आनलाईन संचालन मंडी समिति द्वारा किया जाता है। आनलाईन माध्यम से प्राप्त अधिकतम बोली / बिडिंग की धनराशि से, विक्रेता की संन्तुष्टि उपरान्त, बोली की घोषणा की जाती है। सर्वोत्तम बोली वाले क्रेता एवं विक्रेता के बीच में, अनुबंध पत्र / सेल बिल डाउनलोड किया जाता है जोकि क्रेता / विक्रेता / समिति क्रेता द्वारा अपनी ई–नाम आई.डी. से, विक्रेता से क्रय की गयी कृषि उपज की धनराशि, मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की धनराशि का भुगतान का चालान प्रिंट करकें, भुगतान आनलाईन माध्यम से सीधे विक्रेता के बैंक खाते में किया जाता है अथवा नकद धनराशि के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसके उपरांत फसल संबंधित विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है।

उद्यान विभाग

मुख्यमंत्री आवास स्थित पॉलीहाउस में
उगायी सब्जियों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी।

उद्यान विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**उद्यान कार्ड**	उद्यान विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान कार्ड अनिवार्य है।	राज्य के सभी किसान, जो उद्यान गतिविधियां करना चाहते हैं तथा उनके पास अपनी निजी / लीज की जमीन हो, पात्र होंगे।	उद्यान कार्ड, उद्यान सचल दल केन्द्र से बनाया जाता है, उद्यान कार्ड बनाने हेतु उद्यान कार्ड का प्रपत्र, सचल दल केन्द्र से प्राप्त करना पडता है, प्रपत्र पर कृषक को अपने परिवार एवं उद्यान से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी भरकर, आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं जमीनी दस्तावेजों की प्रति के साथ अपने गांव के प्रधान के हस्ताक्षर कराने होते हैं उसके बाद केन्द्र में ही जमा करना होता है। जमा करने के बाद सचल दल केन्द्र कार्मिक द्वारा संबंधित किसान को उद्यान कार्ड दिया जाता है। **उद्यान सचल दल केन्द्र** – विकास खण्ड स्तर पर योजनाओं की जानकारी एवं किसानों को निवेश, बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु उद्यान कार्यालय है, जहाँ पर ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक / उद्यान निरीक्षक / सहायक विकास अधिकारी, उद्यान नियुक्त रहते हैं, जोकि समय–समय पर किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। राज्य के सभी जनपदों में कुल 319 उद्यान सचल दल केन्द्र स्थापित हैं।
2.	**फल क्षेत्रफल विस्तार।**	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता पर फलों के पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। उद्यान विकसित किये जाने हेतु निर्धारित पौधे आम, अमरूद, अनार, सेब, लीची, प्लम, आड़ू, खुबानी, अखरोट, नींबू प्रजाति, माल्टा, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि फल पौध कृषकों को दिये जाते हैं। (उदा0 स्वरूप एक अखरोट का पौधा 400 / – ₹ का है तो किसान को संबधित उ.स.द.के. में ₹ 200 / – जमा करने होते हैं तथा ₹ 200 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त पौधा ₹ 200 / – में मिल जाता है।)	ऐसे कृषक जिनकी अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। अपनी जमीन हो तो अधिकतम 04 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रति लाभार्थी जमीन होनी चाहिए। अधिकतम निर्धारित एरिया 04 हैक्टेयर है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों (उ.स.द.के.) में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शीतकालीन पौधों को लगाने के लिए सितम्बर–अक्टूबर माह में आवेदन करना होगा एवं वर्षाकालीन पौधों को लगाने के लिए अप्रैल–जून माह में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाईन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उ.स.द. केन्द्र में जमा करना पडता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में प्रस्ताव उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो, संबंधित उ.स.द.केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। **केन्द्रपोषित योजनाओं** से सम्बन्धित आवेदन हेतु, प्रस्ताव जमा करने के उपरांत उ.स.द. केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से इसी प्रकार के समस्त कृषकों के आवेदन राज्य स्तर, राज्य स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं, भारत सरकार से कार्ययोजना स्वीकृत होने के उपरान्त निदेशालय स्तर से कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य जनपद स्तर को उपलब्ध करा दिये जाते है। राज्य पोषित–योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन, उ.स.द.केन्द्र से जनपद स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेशानुसार स्वीकृति / कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है, उसके उपरांत कृषक संबंधित उ.स.द. केन्द्र से फलों की पौध 50 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। संबंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।
3.	**सब्जी क्षेत्रफल विस्तार।**	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढावा देने हेतु मौसम के अनुसार सब्जियों के बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक को मौसमी सब्जी लगाने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। (उदा. स्वरूप लौकी के बीज का पैकेट ₹ 200 /– ₹ का है तो किसान को संबधित उ.स.द. के. में ₹ 100 /– जमा करने होते हैं तथा ₹ 100 /– की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज ₹ 100 /– में मिल जाता	कृषकों की अपनीभूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। (अधिकतम 02 हैक्टेयर) भूमि।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मौसमी सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
4.	**मसाला क्षेत्रफल विस्तार।**	कृषकों को मसाला उत्पादन में बढावा देने हेतु मसाला बीज एवं कंद (अदरक, मिर्च, हल्दी, लहसुन) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात ₹ 15 हजार प्रति हैक्टेयर, के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। यह बीज अधिकतम 04 हैक्टेयर तक की जमीन हेतु ही उपलब्ध कराये जाते हैं।	कृषकों की अपनीभूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक हो।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मसाला बीज एवं कंद उपलब्ध कराये जाते हैं। हल्दी, अदरक के लिए फरवरी–मार्च माह में उद्यान सचल दल केन्द्र में आवेदन कर देना चाहिए। अन्य फसलों के लिए भी बुआई की तिथि से 01 माह पूर्व आवेदन कर देना चाहिए।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		(उदा. स्वरूप अदरक 01 किलो ₹ 200 / – का है तो किसान को संबधित उ.स.द.के. में ₹ 100 / – जमा करने होते हैं तथा ₹ 100 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त कंद ₹ 100 / – में मिल जाता है।)		
5.	**पुष्प क्षेत्रफल विस्तार।**	कृषकों को पुष्प उत्पादन में बढावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब / पौधे / बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता (अधिकतम 04 हैक्टेयर) तक उपलब्ध करायी जाती है। अर्थात खुले पुष्प अधिकतम 20 हजार तक की पुश्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। डंडीयुक्त पुष्प अधिकतम 50 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। बल्बयुक्त पुष्प अधिकतम 75 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। (उदा. स्वरूप गेंदे के बीज 1 किलो ₹ 200 / – का है तो किसान को संबधित उ.स.द.के. में ₹ 100 / – जमा करने होते हैं तथा ₹ 100 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज ₹ 100 / – में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब / पौधे / बीज) उपलब्ध कराये जाते हैं।
6.	**मशरूम उत्पादन।**	मशरूम उत्पादन को बढावा देने के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु (किसान / मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए) 40 प्रतिशत राजसहायता की धनराशि दी जाती है। मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक। कृषक के पास अपनी जमीन / लीज की जमीन होना अनिवार्य है। एक किसान को 01 ही यूनिट मिलता है। ऋण न लेने की स्थिति में राजसहायता / सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक, आवेदन पत्र / प्रस्ताव का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in/ से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित जनपद के उद्यान कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक तैयार करेगा यदि प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो प्रदेश के जनपद देहरादून एवं ज्यूलीकोट इण्डोडच मशरूम कार्यालय के विभागीग्र कार्मिकों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। उसके उपरांत प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पडता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करना पडता है, जिसमें बैंक को जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकखाता, मशरूम कार्य करने से कितनी आय

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 15 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कुल लागत का राजकीय क्षेत्र (सरकारी विभाग, संस्थानों / कृषि / औद्यागिक विश्वविद्यालय आदि) हेतु 100 प्रतिशत धनराशि की राज सहायता दी जाती है।		होगी का विवरण, कितना व्यय होगा का विवरण, आय के अन्य स्त्रोंतो का विवरण एवं जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने पडते हैं। बैंक ऋण संबंधी प्रक्रिया अपनाकर ऋण स्वीकृत करता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर निदेशक बागवानी मिशन / मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना पडता है। आवेदन के साथ भू– अभिलेख, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, परिवार रजिस्ट्री की नकल / राशन कार्ड, स्थायी निवास / खाता खतौनी, खसरा एवं खतौनी, मशरूम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, गोल खाता होने की स्थिति में निर्धारित जमीन होने का शपथ पत्र, मांगे जाते हैं। यदि कोई अभिलेख, आवेदक द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे मौखिक / लिखित में अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कहा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूंल्याकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक बागवानी मिशन / मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम यूनिट स्थापित करने का कार्य शुरू करता है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी दो किस्तों में सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है। दी जाती है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाईन है।
7.	**ट्यूबैल स्थापना / पौण्ड निर्माण।**	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबैल / पौण्ड निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात 90 हजार प्रति इकाई (अधिकतम 01 नग) की दर से धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। संबंधित क्षेत्र में पानी है या नहीं इसकी पुष्टि कृषक करेगा। एक कृषक को 01 टयूबवैल / पौण्ड निर्माण की सब्सिडी दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाईन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ.स.द.केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा।उ.स.द.केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत आदेश जारी करके जनपदों को आदेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत कृषक टयूबवैल निर्माण / पौण्ड निर्माण का कार्य शुरू करता है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
8.	**ग्रीन हाउस निर्माण।**	ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम / नैचुरेल वैन्टिलेटिड पॉलीहाउस / सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री हेतु कुल लागत का 50 से 80 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है :– विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम / नैचुरेल वैन्टिलेटिड पॉलीहाउस हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री (बीज / पुष्प बल्ब / पौधे) 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रीन हाउस निर्माण– फेन एण्ड पैड सिस्टम पालीहाउस, टयूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस पर कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि देय है। एन्टी हेल नेट लगाने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। **राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता अर्थात कुल 75 प्रतिशत राजसहायता देय है।**	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। यह सहायता समूह में कार्य करने पर, नहीं दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर, परिवार रजिस्ट्री की नकल / राशन कार्ड, प्रशिक्षण पत्र भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ.स.द. केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उ.स.द. केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत आदेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। स्वीकृति पत्र के साथ पॉलीहाउस बनाने वाली, विभाग के साथ सूचीबद्ध कम्पनियो की सूची दी जाती है। किसान अपने खर्चे पर ग्रीन हाउस निर्माण का कार्य शुरू करेगा। यदि किसान के पास धनराशि न हो तो, किसी बैंक से लोन लेकर कर सकता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्लास्टिक मल्चिंग– नमी को रोकने एवं जड़ों में Micro Flora को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। **संरक्षित खेती के लिये रोपण सामग्री की व्यवस्था**–पॉलीहाउस के अन्तर्गत रोपण सामग्री (पुष्पों / सब्जियों के बीज) कुल लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाते हैं यदि कृषक विभाग को छोडकर, बाहर से खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है। ग्रीन हाउस में एरिया भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार 4000 हजार वर्ग मीटर तक / 500 वर्ग मी. तक उपलब्ध कराया जाता है। 500 वर्ग मी. के पॉलीहाउस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि कृषक को मिलती है।		करायेगा तथा विभागीय अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके अपनी आख्या देंगे जिसके बाद समुचित राजसहायता / सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
9.	**मौन पालन।**	मौनवंश (मधुमक्खियां, रानी मक्खी सहित) व मौन कॉलोनी, (मधुमक्खी के बक्से) **40 प्रतिशत की राजसहायता** (अधिकतम लागत मौन बॉक्स ₹ 2000, मौनवंश ₹ 2000) पर उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 मौन बक्से एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 मौन बक्से दिये जाते हैं। (उदा. स्वरूप मधुमक्खी का एक बक्सा एवं मधुमक्खियां ₹ 200 / – की हैं तो किसान को संबधित उ.स.द.के. में ₹ 120 / – जमा करने होते हैं तथा ₹ 80 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बक्से ₹ 120 / – में मिल जाता है।) यदि कोई किसान अपने उद्यानों में मौनवंश रखना चाहता है तो ₹ 350 प्रति मौनवंश की आर्थिक सहायता किसान को भुगतान की जाती है।	मौनपालन हेतु इच्छुक कृषक।	संबंधित किसान मौन बक्से हेतु अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, मौन बक्से और मधुमक्खियां लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा उसमें अपना पता, मो. नम्बर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके बाद उ.स.द.के. कार्मिक प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय या ज्यूलीकोट सेंटर को भेजेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर संबंधित किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा स्वीकृति पत्र भी भेजा जाता है। संबंधित किसान मौन बक्से एवं मधुमक्खियां ज्यूलीकोट सेंटर या जनपदीय कार्यालय से **40 प्रतिशत सब्सिडी** पर प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कृषक को अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें अपना पता, मो. नं., आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके उपरांत प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय में भेजा जाता है। जनपद में इसी प्रकार लगभग 10–30 किसान, मौनपालन हेतु इच्छुक होने पर उनका

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहता है तो 07 दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण विभाग द्वारा निशुल्क दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के साथ संबंधित किसान को ₹ 100 प्रति दिन की दर से ₹ 700 तथा ₹ 50 प्रति दिन की दर ₹ 350 प्रति लाभार्थी को देय है। कुल 1050 ₹ भी दिये जाते हैं।		समूह बनाकर विभाग द्वारा प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा किसान उस तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर किसान को 1050 ₹ भी खाते में भुगतान / नकद दिया जाता है।
10.	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन।	पैक हाउस (9 मी. / 6 मी.), प्री कूलिंग इकाई (6 मै.टन क्षमता), (मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मै.टन क्षमता), कोल्ड रूम (30 मै.टन क्षमता), कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफरवेन / कन्टेनर (6 मै. टन क्षमता), राईपनिंग चैम्बर (300 मै.टन क्षमता) आदि यूनिट की स्थापना ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी के माध्यम से 35 से 50 प्रतिशत तक की धनराशि / सब्सिडी भुगतान की जाती है।	इच्छुक उद्यमी / कृषक। अपनी जमीन हो अथवा 25 से 30 वर्ष तक लीज पर ली हो।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, प्रशिक्षण पत्र भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ.स.द. केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उसी के साथ–साथ संबंधित उद्यमी / कृषक, बैंक में ऋण हेतु आवेदन करेगा। उ.स.द. केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों / उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत आदेश जारी करके जनपदों को आदेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक / उद्यमी को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच कृषक / उद्यमी को ऋण स्वीकृत करवाना होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरांत सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में, तुडाई उपरांत प्रबंधन के कार्यो को किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरांत समुचित राजसहायता / सब्सिडी कृषक के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
11.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन।	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 400.00 लाख / 4करोड़) की राज सहायता / सब्सिडी की धनराशि दी जाती है। पूर्व में पारित किसी प्रस्ताव को मॉडल के रूप में विभागीय साइड में एम.एस.एम.ई. की तर्ज पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है ताकि प्रस्ताव बनाने में इच्छुक कम्पनी / फर्म / प्रमोटर को आसानी हो।	खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु इच्छुक कम्पनी / फर्म / प्रमोटर।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ चैकलिस्ट में उल्लिखित 29 बिंदुओं (निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र, डीपीआर, प्रमोटर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संस्था का बायोडाटा, इकाई क्षेत्र का पता, परियोजना प्रस्ताव को अप्रेजल करने वाला बैंक / संस्था, बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा अप्रेजल का साक्ष्य, अग्निशमन विभाग की एनओसी, भूमि अभिलेख जो संस्था के नाम हों, भू–परिवर्तन संबंधी प्रमाण पत्र, कम्पनी / संस्था का बॉयलाज, कच्चे माल का उपार्जन, इकाई द्वारा क्या उत्पाद तैयार किये जायेगे का विवरण, कृषकों से अनुबंध, साइट प्लान, एफएसएसएआई का प्रमाण, रोजगार सृजन प्रमाण, सिविल कार्यो का विवरण सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित, प्लांट मशीनरी एवं उपकरणों का आपूर्तिकर्ता के साथ कोटेशन जो चार्टड मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हों, मशीनरी क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन, उत्पादन हेतु विपणन की रणनीति, प्रोसेस फ्लो चार्ट, इकाई क्रियान्वयन का विवरण, ₹ 100 / – का शपथ पत्र, वित्त पोषण, परियोजना लागत एवं योग्यता) के दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ.स.द. केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। परियोजना में आवेदन करने से पूर्व उद्यमी / संस्था बैंक में ऋण संबंधी अप्रेजल प्रस्तुत करेगा। उ.स.द. केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को सीधे मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत उद्यमी को स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच उद्यमी को ऋण स्वीकृत करवाना होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरांत सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरांत समुचित सब्सिडी उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
12.	**टपक सिंचाई (ड्रिप) स्प्रिंक्लर**	नई पौधो की आवश्यकतानुसार ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल स्प्रिंक्लर, माइक्रो स्प्रिंक्लर, मिनी स्प्रिंक्लर, रेन गन के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाती है। इसके अन्तर्गत 4 हैक्टेयर तथा अधिकतम 05 हैक्टेयर के क्षेत्रों हेतु **45 से 55 प्रतिशत राजसहायता / सब्सिडी** धनराशि देय है। राज्य के कृषकों को टॉप ऑप के रूप में **25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता / सब्सिडी धनराशि प्रदान की जा रही है।**	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाईल नं. भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाईन है।
13.	**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। (PMFME)**	छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, बेकरी, कनफेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट, मछली प्रोडक्ट आदि) की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के **लिए 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 10 लाख,** प्रति इकाई अनुदान / धनराशि भुगतान की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए **उक्त 35 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त 25** प्रतिशत भी भुगतान की जाती है। **पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख की धनराशि प्रति इकाई,** उपलब्ध कराई जाती है।	मौजूदा या नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम जैसे कि स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत / भागीदार फर्म / एफ.पी ओ. / एन.जी.ओ / सहकारिता / एस.एच.जी. / प्राईवेट लि. कं. आदि। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। **यदि आवेदक ने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुडी योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण के लिये एवं ब्याज सबवैंशन तथा टॉप अप कनवर्जेन्स के लिये पात्र है।**	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा भारत सरकार के पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करना होता है, आवेदन करने के लिए, आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाईल नं, संबंधित उद्यमी / संस्था के समस्त सदस्यों का, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के उपरांत आवेदन पत्र संबंधित जनपद के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स परसन के पास जाता है, संबंधित अधिकारी किसान / उद्यमी / संस्था से बात कर प्रस्ताव तैयार करायेगा तथा ऑनलाइन ही बैंक को प्रेषित करेगा। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर संबंधित उद्यमी / किसान, प्रसंस्करण इकाई निर्माण का कार्य शुरू करेगा तथा कार्य विभगीय अधिकारियों की देखरेख में होगा तथा विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी। कार्य शुरू होने के बाद संबंधित उद्यमी उक्त पोर्टल पर कार्य शुरू होने की सूचना अपडेट करेगा तथा बाद में सब्सिडी धनराशि कृषक / उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। इस योजना के लिये "परिवार" में स्वयं पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। मौजूदा इकाईयों के उन्नयन / विस्तार हेतु बैंकों द्वारा पुर्नगठन के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदन भी योजना अन्तर्गत पात्र है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
14.	**उद्यानों में घेरबाड़ की योजना।**	जंगली जानवरों से फल–पौधे / उद्यान फसलों एवं बगीचों को बचाने हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु कुल लागत का **50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 1.00 लाख प्रति हैक्टेयर)** धनराशि सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाती है।	उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक को घेरबाड संबंधी प्रार्थना पत्र देना पडता है। प्रार्थना पत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। प्रार्थना पत्र लिखने में दिक्कत होने पर संबंधित उ.स.द. केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। उ.स.द. केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रार्थना पत्र को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उद्यानों की घेरबाड की जाती है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
15.	**मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना।**	पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट कुल लागत की **50 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 50 कुन्तल प्रति लाभार्थी उपलब्ध करायी जाती है** तथा स्पान (बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायत्ता अधिकतम 25 कि.ग्रा. स्पॉन प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है। पाश्चुराईजड कम्पोस्ट / स्पान विभाग द्वारा दिया जाता है। मशरूम उत्पादकों हेतु 07 दिवसीय **प्रशिक्षण** (₹ 1050 प्रति लाभार्थी) जिसमें 700 ₹ डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में तथा ₹ 350 प्रशिक्षण सामग्री आदि पर व्यय किया जाता है। यदि कोई मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजनान्तर्गत उत्पादन करता है तो कृषक / मशरूम उत्पादकों को **स्थानीय बाजार / मण्डी में मशरूम विक्रय किया जाता है।**	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक, आवेदन पत्र / प्रस्ताव का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in/ से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक तैयार करेगा यदि प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो उ.स.द.के. कार्मिक सहयोग करेंगे। आवेदन के साथ जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मशरूम कार्य करने से कितनी आय होगी का विवरण तथा पूर्व में प्रशिक्षण लिया हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होगें। उसके उपरांत प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पडता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करता है (यदि किसान के पास अपना पैसा न हो तो), उसके उपरांत आवेदन प्रारूप सीधे बागवानी मिशन को भेजा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूंल्याकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक बागवानी मिशन / मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम हेतु पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट / स्पान संबंधित जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है। पात्र लाभार्थी को 50 कुन्तल कम्पोस्ट एवं 25 कि.ग्रा. स्पान बजट उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। **प्रशिक्षण हेतु** उ.स.द. केन्द्र में प्रार्थना पत्र देना पडता है तथा प्रार्थना पत्र के उपरांत प्रशिक्षण की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित कर किसान को दूरभाष पर अवगत कराया जाता है। जिसके बाद किसान निर्धारित तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
16.	**वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना।**	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों (गड्डा बनाने एवं केंचुए उपलब्ध कराने) की स्थापना हेतु राजसहायता ₹ 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत दिया जाता है।	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। समस्त महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की इस हेतु पात्र होंगे।	इस इसमें सम्पूर्ण प्रक्रिया "उद्यानों की घेरबाड" के अनुसार अपनायी जाती है।
17.	**सेब की अति सघन बागवानी योजना।**	सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सेब की नवीनतम प्रजातियों के बागान स्थापित किये जायेंगें। जिसमें क्रमशः एम–9 हेतु 900 पौध प्रति एकड़ (₹ 12.36 लाख), एम एम–111 हेतु 540 पौध प्रति एकड़ (₹ 7.86 लाख) तथा सीडलिंग हेतु 440 पौध प्रति एकड़ (₹ 3.34 लाख) होगी। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा स्थापित अति सघन सेब बागानों एवं पौधों की संख्या के अनुपातिक आधार (Prorata basis) पर की जायेगी।	सेब की अति सघन / सीडलिंग बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 02 नाली (0.04 है.) से अधिकतम 100 नाली (02 है.) प्रति लाभार्थी / समूह आदि को देय होगा।	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
18.	**मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना**	फल के पौधों, खुले क्षेत्र हेतु सब्जी के बीज, मसाला के बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, बीज / पौधे सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कीट व्याधिनाशक रसायनों (दवाईयां) आदि पर कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, दवाइयां सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कूल हाउस (क्षमता–30 मै.टन) पर कुल लागत ₹ 15.00 लाख का 50 प्रतिशत राजसहायता / सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है। रैफ्रिजरेटर वैन (क्षमता–9 मै.टन) पर कुल लागत ₹ 26.00 लाख का 50 प्रतिशत राजसहायता / सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृशक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पौध लगाने एवं दवाईयां लेने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। आवेदन प्रारूप के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाईन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उ.स.द. केन्द्र में जमा करना पडता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में प्रस्ताव उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो, संबंधित उ.स.द. केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। उ.स.द. केन्द्र कार्मिक किसान के प्रस्ताव को जनपद स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है, उसके उपरांत कृषक संबंधित उ.स.द.केन्द्र से फलों की पौध / बीज / दवाईयां 50 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। रैफ्रिजरेटर वैन एवं कूल हाउसिंग की स्थिति में किसान द्वारा संबंधित वैन खरीदने / कूल हाउसिंग निर्माण के उपरांत, विभागीय अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। संबंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।

उद्यान विभाग (जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर, चमोली

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रदेश में जड़ी–बूटी कृषि करण को प्रोत्साहित करने हेतु सामाग्री का वितरण, विशेष प्राविधान–सीमान्त जनपद के कृषकों अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषकों एवं बी.पी.एल. कृषकों को औषधीय पादपों के बीज / पौध 03 नाली तक तथा सगन्ध पादपों के बीज / पौध का 05 नाली तक निशुल्क वितरण करने की योजना (नोट वर्तमान में समस्त इच्छुक कास्तकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है)। जड़ी–बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जड़ी–बूटी के पौधरोपण सामाग्री–निवेशों आदि पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करना।	औशधीय पादप अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, वन ककड़ी, पाइरेथ्रम, तगर, मंजीठ, कोलियस, सर्पगन्धा, शतावर, सिलिबम, पिपली मण्डूकपर्णी / ब्राह्मी, अमीमेजस, स्टीविया तथा तिलपुष्पी, की 03 नाली तक बीज / पौध तथा औशधीय एवं सगन्ध पादपों जैसे फरण, कालाजीरा, बड़ी इलायची, रोजमैरी, जिरेनियम, लेमनग्रास, कैमोमाईल तेजपात व अमीमेजस की 05 नाली तक निःशुल्क बीज / पौध वितरित कर कृषकों को औषधीय व सगन्ध पादपों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के कृषकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधा अनुमन्य कराना, तकनीकी जानकारी सुलभ कराना, प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, प्रसंस्करण व्यवस्था का लाभ देना एवं कृषिकरण कार्य का अभिलेखीकरण / डाटा बेस तैयार करना।	प्रदेश के जिन काश्तकारों के नाम विधिवित नाप भूमि उपलब्ध है तथा वे जड़ी–बूटियों के कृषिकरण के इच्छुक हों वे समस्त काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक का चयन भौतिक सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक जनपद के संबंधित विकासखण्ड में तैनात जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा किया जाता है, इच्छुक कृषक को बीज पौध प्राप्त करने के लिए भूमि का खसरा एवं आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर चयनित कृषकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है।
2.	जड़ी–बूटी कृषकों का पंजीकरण।	औषधीय एवं सगन्ध पादपों का कृषिकरण कर रहे कृषकों की पंजीकरण व्यवस्था तथा कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण एवं वन क्षेत्रों से अवैध विदोहन को नियंत्रित करना।	औषधीय व सगन्ध पौध उत्पादक काश्तकार पात्र माने जाते हैं जो नाप भूमि में स्वयं के संसाधन अथवा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रोत्साहित काश्तकार या किसी अन्य संस्था / संस्थान / विभाग / स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रोत्साहित कृषक लाभार्थी होते हैं।	संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त वास्तविक कृषिकरण क्षेत्र का पंजीकरण किया जाता है, सर्वेक्षक सहायक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण प्रपत्र तैयार कर आवेदक के आधार कार्ड एवं भूमि का खसरा संलग्न कर निर्देशक जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को प्रेषित किया जाता है। निदेशक की अनुमति के उपरान्त संबंधित जिला समन्वयक द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3.	जड़ी–बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण	कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद की निकासी के सरलीकरण के उद्देश्य से यह नीति प्रतिपादित की गयी है अपनी नाप भूमि से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद को कृषक, वन विभाग द्वारा संचालित मण्डियों अथवा किसी अन्य क्रेता को बेच सकते हैं इस व्यवस्था से कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध पादपों के उत्पाद की विपणन प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है।	नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा वैधानिक रूप से नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक के पास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति सहित कृषक को संस्थान द्वारा प्राधिकृत सहयोगी संस्था, भेषज विकास इकाई को आवेदन करना होगा, भौतिक सत्यापन के उपरान्त रवन्ना जारी किया जाता है।
4.	निर्यात के लिए औषधीय पादप उत्पादकों को वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र (legal production Certificate) LPC जारी करना।	कतिपय संकटग्रस्त व साइटीस (CITES) प्रजातियों के उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है किन्तु नाप भूमि में वैधानिक रूप से उत्पादित संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कूठ, कुटकी, इत्यादि के निर्यात में सुविधा प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है।	स्वयं की नाप भूमि में संकटग्रस्त पादपों जैसे कूठ, कूटकी इत्यादि का वैधानिक कृषिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक द्वारा किसी आयातक की मांग का पत्र संलग्न करते हुए जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र व, भेषज विकास इकाई द्वारा जारी रवन्ना संलग्न कर जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को आवेदन किया जाता है संस्थान द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध कर वन विभाग भेषज विकास इकाई, एवं जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यान के उपरान्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को LPC जारी करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है तदक्रम में वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत LPC जारी की जाती है।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

चाय बागान कौसानी, बागेश्वर

उद्यान विभाग (उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम।**	• उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा बहुतायत मात्रा में पलायन कर जाने के कारण अधिकांश रूप से काश्तकारों की भूमि निष्प्रोज्य/बंजर पड़ी रहती है, जिसमें चाय विकास कार्यक्रम संचालित करने से उक्त भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। • बोर्ड द्वारा संचालित चाय विकास योजना एक रोजगारपरक योजना है, जिसके अन्तर्गत चाय बागानों में काश्तकारों/श्रमिकों को चाय प्लान्टेशन के सात वर्षो तक बोर्ड द्वारा वर्षभर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बागान से पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तियां प्राप्त होने पर उनकी बिक्री कर कास्तकार आय अर्जित कर अपनी आजीविका चला सकता है। • वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में फलों, सब्जियों तथा फसलों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि चाय पौधों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा कोई नुकसान नही पहुंचाया जाता है। • पर्वतीय क्षेत्रों में सिचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परम्परागत खेती में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि चाय बागानों में प्रारम्भिक स्तर पर ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, प्रतिकूल मौसम का चाय बागानों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। • एक बार चाय पौधारोपण के उपरान्त उचित देखरेख में 100 वर्षो तक चाय पौधों से उत्पादन लिया जा सकता है। चाय पौधों पर आलोवृष्टि से मात्र एक सप्ताह के उत्पादन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • वनों का अन्धाधुन्ध कटान, आपदा व भारी वर्षा में भू–स्खलन का खतरा बना रहता है, जबकि चाय पौध रोपित क्षेत्रों में भू–स्खलन का कोई खतरा नही होता है, यानी चाय बागान भू–स्खलन रोकने में सहायक सिद्व होते है। • चाय पौधारोण पर्यावरण सुरक्षा एवं पूर्णरूप से प्रदूषण मुक्त उद्योग है। • चाय बागानों में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। • चाय उद्योग स्थानीय काश्तकारों के आर्थिक आधार हेतु सुदृढ़ स्तम्भ बन सकता है। • चाय विश्व में सर्वाधिक पेय पदार्थ है, जिस कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे इसके विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। • प्रति हैक्टेयर औसतन 15000 चाय पौध रोपित की जाती है, जिससे भूमि कटाव भी रूकता है।	• काश्तकार के पास स्वयं की नाप भूमि उपलब्ध हो। • चिन्हित क्षेत्र के अन्तर्गत 20 किमी. की परिधि में कम से कम 60 हैक्टेयर चाय प्लान्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध हो। • चिन्हित भूमि के आसपास प्रारम्भिक स्तर पर चाय पौध नर्सरी स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो।	• वर्तमान में बोर्ड द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर काश्तकारों की मॉग के अनुसार लगभग 60 से 100 हैक्टेयर जमीन चाय बागान हेतु उपलब्ध हो। • काश्तकार द्वारा अपनी नाप भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को चाय प्लान्टेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा काश्तकार की भूमि का मृदा परीक्षण करवाया जाता है। मृदा परीक्षण में भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर विकास खण्ड से प्राप्त समस्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन/शासन को स्वीकृति हेतु प्रेशित की जाती है। जिला प्रशासन/शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जाता हैं • उपलब्ध भूमि का मृदा सांराश 4.5 से 6.00 प्रतिशत तक होना चाहिए जिसकी जांच बोर्ड द्वारा अपनी मृदा प्रयोगशाला में करवाई जाती है। • काश्तकार की नाप भूमि में ही बोर्ड द्वारा चाय प्लान्टेशन किया जाता है। • काश्तकार द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि के अतिरिक्त बंजर व निष्प्रोज्य भूमि में भी चाय प्लान्टेशन किया जा सकता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		• वर्तमान में बोर्ड द्वारा 9 जनपदों के 30 विकास खण्डों में 1370 है० क्षेत्रफल में 4011 कास्तकारों से भूमि लीज पर लेकर चाय बागान विकसित किये गये है। • वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत 3100 श्रमिक प्रतिमाह कार्यरत है, जिसमें 2279 महिला श्रमिक कार्यरत है।		
2.	टी टूरिज्म।	• बोर्ड द्वारा वर्तमान में चाय बागान घोड़ाखाल, (नैनीताल) चम्पावत व कौसानी (बागेश्वर) में टी टूरिज्म से सबन्धित गतिविधियॉं संचालित की जा रही है, जिसमें निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे है। • राज्य में भ्रमण करने वाले पर्यटकों द्वारा अन्य रमणीय स्थलों का भ्रमण करने के साथ–साथ बोर्ड द्वारा संचालित चाय बागानों, चाय फैक्ट्रियों का भी भ्रमण किया जा रहा है। • बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से बोर्ड द्वारा न्यूनतम प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। • पर्यटकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि उसी बागान में टी टूरिज्म को विकसित करने में व्यय की जा रही है। • बोर्ड द्वारा बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बागान भ्रमण एवं चाय टेस्ट करवाकर प्रतिवर्ष 75.00 लाख की आय अर्जित की जा रही है। • पर्यटक सीजन में प्रतिदिन लगभग 500–600 पर्यटकों द्वारा चाय बागानों व चाय फैक्ट्रियों का भ्रमण किया जा रहा है। • बोर्ड द्वारा संचालित टी टूरिज्म से स्थानीय स्तर पर लोगो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है।	• टूरिज्म के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव प्राप्त फर्मो/ व्यक्तियों का ई–निविदा के माध्यम से चयन किया जाता है। • चयनित फर्म/ व्यक्ति के साथ 5 वर्ष का अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।	• बोर्ड द्वारा चाय बागान चम्पावत में टी टूरिज्म हेतु निर्मित टी कैफेटेरिया, व टूरिस्ट कॉटेजों को ई–निविदा के माध्यम से चयनित फर्मो से लीज के आधार पर संचालित करवाया जा रहा है। • चाय बागान घोड़ाखाल के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से टी कैफेटेरिया का संचालन करवाया जा रहा है। • जनपद–बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा चाय विकास बोर्ड की भूमि में स्थापित चाय फैक्ट्री के समीप टी कैफेटेरिया का निर्माण कर बोर्ड को हस्तान्तरित किये जा चुके है, जिसको लीज के आधार पर संचालित करने हेतु ई–निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
3.	चाय फैक्ट्रियों की स्थापना।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्श 2023–24 में 5.92 लाख हरी पत्तियों को प्रस्संकृत करते हुए 1.25 लाख चाय निर्मित की गई है। वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत निम्न जनपदों के अन्तर्गत स्वयं की चाय फैक्ट्रियॉं स्थापित की गई है:– 1. चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल (नैनीताल) – जैविक 2. चाय फैक्ट्री चम्पावत – जैविक 3. चाय फैक्ट्री भटोली (चमोली) – जैविक 4. चाय फैक्ट्री कौसानी (बागेश्वर)–अजैविक 5. चाय फैक्ट्री हरिनगरी (बागेश्वर)– अजैविक 6. उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा वर्तमान में निम्न जनपदों में छोटी चाय फैक्ट्रिया स्थापित की जानी प्रस्तावित है :– • चाय फैक्ट्री धौलादेवी (अल्मोड़ा) • चाय फैक्ट्री डीडीहाट (पिथौरागढ़)	बोर्ड द्वारा स्थापित उक्त चाय फैक्ट्रियों को भविष्य में पीपीपी मोड/निजी क्षेत्र में संचालित करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु पात्रता/ नीति तैयार की जा रही है।	बोर्ड द्वारा स्थापित चाय फैक्ट्रियों में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को कार्यनियोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन कास्तकारों द्वारा बागान वापस प्राप्त कर स्वयं संचालित किये जा रहे है उन कास्तकारों से ₹ 40.00 प्रतिकिलोग्राम की दर से हरी पत्तियॉं क्रय कर फैक्ट्री को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका भुगतान मासिक आधार पर कास्तकारो के बैंक खातों में बोर्ड स्तर से किया जा रहा है।

उद्यान विभाग (भेषज विकास इकाई) उत्तराखण्ड

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**भेषज कृषि विकास योजना। (जड़ी–बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)**	कूठ प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष ₹ 1000 कुटकी प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष ₹ 660, बड़ी इलायची प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष ₹ 1120 (चौथे वर्ष से), सर्पगंधा प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष ₹ 1200 तथा तेजपता प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष ₹ 1200 (दस वर्ष पश्चात) का लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ भी होती है।	स्थानीय बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास पांच नाली भूमि उपलब्ध हो, अपना आधार कार्ड हो और जड़ी–बूटी खेती से रोजगार के अवसर प्राप्त करने का इच्छुक हो।	चयनित विकास खण्ड के चयनित ग्राम/पट्टी के निवासी जो क्लस्टर (2–3ग्राम के सम्मिलित 10 कृषक) में कार्य करने के इच्छृक हो। जलवायु एवं ऊचांई के आधार पर जड़ी–बूटी की खेती करना चाहते हो को प्रशिक्षण कैम्प के माधयम से जिला भेषज समन्वयक, भेषज विकास इकाई चयनित करते है। उनकी क्लस्टरवार सूची मुख्यालय को कार्ययोजना के सापेक्ष पौध की मांग हेतु प्रेषित करते है। तदपश्चात इन चयनित व्यक्तियों को जुलाई–अगस्त (वर्षाकाल) में पांच नाली मानक के अनुसार चयनित नर्सरी से आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाति है। रोपित किये गये पौधों का जिला भेषज समन्वयक द्वारा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर से पंजीकरण करवा कर फसल निकालने से 03 माह पूर्व उस प्रजाति की बिक्री किसी भी मण्डी/फार्मेसी हेतु जिला भेषज समन्वयक द्वारा रवन्ना निःशुल्क निर्गत किया जाता है।

सगन्ध पौधा केन्द्र सैलाकुई, देहरादून

सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में सगन्ध फसल उत्कृष्टता केन्द्र के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम।**	सगन्ध पौधों एवं उसकी खेती से होने वाले लाभ की जानकारी आमजनमानस तक पहुचाना। कृषि जलवायु के अनुसार फसलों की जानकारी देना।	इच्छुक व्यक्ति	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा फील्ड स्तर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति जोकि, सगन्ध खेती से सम्बंधित जानकारियों अथवा खेती का इच्छुक हो, प्रतिभाग कर सकता है।
2.	**सगन्ध कृषक पंजीकरण।**	सगन्ध पौधा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) में पंजीकरण अनिवार्य है। उसी के उपरांत कैप द्वारा कृशकों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधायें, तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, उत्पाद की निकासी आदि सुविधाएं दी जाती हैं।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा संबंधित कृषकों का सगन्ध खेती से जुडा होना अनिवार्य है।	सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में निदेशक, कैप को आवेदन करना होगा। पंजीकरण का प्रारूप कैप की वेबसाइट https://www.capuk.in/index.php/ services# से डाउनलोड कर सकता है या फील्ड कार्मिकों से प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण पत्र के साथ भू–अभिलेख, आधार कार्ड, संलग्न करके कैप में जमा करेगा या फील्ड कार्मिक को देगा।उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की सगन्ध खेती का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं पंजीकरण हेतु संस्तुति करेगा। संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा पंजीकरण किया जाता है तथा कृषक को पंजीकरण संख्या आवंटित करते हुए संबंधित कृषक को पंजीकरण प्रपत्र की प्रति डाक द्वारा / कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3.	**सगन्ध कृषिकरण।**	**निःशुल्क बीज पौध सामग्री दी जाती है**– प्रति कृषक 05 नाली (0.1हे.) क्षेत्रफल हेतु निःशुल्क बीज–पौध सामग्री, कृषक के निकटवर्ती मोटरमार्ग तक / कैप कार्यालय तक पहुंचायी जाती है। निःशुल्क तकनीकी सहायता / परामर्श / अनुश्रवण।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा सगन्ध खेती के इच्छुक हो।	जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू–अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नबंर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की जमीन की स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर फसल चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। उसके उपरांत निदेशक, कैप द्वारा संबंधित आवेदक के जिले के समन्वयक को, बीज, पौध सामग्री उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। जिला समन्वयक जनपद के सभी किसानों की डिमांड बनाकर, निदेशक को प्रेषित करते हैं। संस्तुति के उपरांत कृषक हेतु गुणवत्तायुक्त बीज, पौध सामग्री प्राप्त कर, कृषक द्वारा चयनित भूमि के निकटतम सडक मार्ग तक, बीज, पौध सामग्री पहुंचायी जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	**कृषिकरण अनुदान योजना।**	कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर चयनित 09 फसलों (सगन्ध घासें–(लेमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोज, खस आदि) डेमस्कगुलाब, मिन्ट (जापानी मिन्ट को छोड़कर), जिरेनियम, कालाजीरा, रोजमेरी, तेजपत्ता, तिमूर, चन्दन) की खेती करने पर किसी एक कृषक के लिए अनुदान की वित्तीय **सीमा ₹ 1. 00 लाख या अधिकतम् 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय अनुदान धनराशि (पौधों की जीवितता के आधार पर) में से जो भी कम हो, अनुमन्य होगी ।**	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो। अनुदान हेतु चयनित 09 प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण किया हो।	अनुदान योजना में कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू–अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नबंर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की जमीन का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर अनुदान हेतु चयनित 9 सगन्ध फसलों में से उपयुक्त फसलों का चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। स्वीकृति उपरान्त कृषक चयनित प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण कार्य शुरू करेगा। सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण प्रक्रिया **क्रमांक 2** में अंकित है। कृषक पंजीकरण प्रपत्र / पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के 6 माह के भीतर, कैप कार्यालय में अनुदान की प्रथम किस्त हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता विवरण संलग्न करेगा। प्रारूप कैप की वेबसाईट www.capuk.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के उपरांत जिला समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कृषक के खेत का स्थलीय निरीक्षण, कृषक की उपस्थिति में किया जाता है तथा मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। उसके उपरांत निदेशक स्तर पर अनुदान स्वीकृत समिति के द्वारा प्राप्त अनुदान प्रपत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। अंत में कैप द्वारा सीधे कृषक के खाते में स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है तथा सगन्ध खेती करने के तीसरे वर्ष में शेष 25 प्रतिशत धनराशि, पौध जीवितता के आधार पर भुगतान की जाती है। शेष 25 प्रतिशत के लिए भी उक्त प्रक्रियानुसार आवेदन करना होगा।
5.	**मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण।**	मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण करने पर खेती की तैयारी आदि पर, मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मजदूरी का भुगतान, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है तथा किसान को मजदूरी का भुगतान नहीं करना पडता है।	ग्रामीण क्षेत्रों के सगन्ध कृषिकरण के इच्छुक कृषक जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है।	सगन्ध कृषि के इच्छुक किसानों को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर, खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कैप, सेलाकुई को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित फसल का वित्तीय इस्टीमेट / आगणन कैप द्वारा बनाया जाता है फिर आगणन खण्ड विकास अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		कैंप द्वारा कृषक को निःशुल्क पौध सामग्री। निःशुल्क तकनीकी सहयोग / परामर्श / अनुश्रवण दिया जाता है।	अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो।	प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैप कार्यालय से पौध सामग्री की मांग की जाती है। कैप द्वारा चयनित किसानों को पौध सामग्री निकटतम स्थल / सडक मार्ग तक निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है तथा पौध रोपण के दौरान तकनीकी सहयोग दिया जाता है। संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध खेती संबधित कार्य इच्छुक कृषक के खेत में करवाया जाता है।
6.	**राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों / संस्थाओं / समूहों को उनके उत्पाद के तुडाई उपरांत प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा।**	सगन्ध पौधों के ड्राईंग, भण्डारण तथा प्रसंस्करण हेतु आवश्यक यंत्र / उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर ₹ 10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में **75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान** धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कलस्टर के अन्य कृशकों को आसवन (प्रसंस्करण) की सुविधा। कृषकों में उद्यमिता का विकास।	कृषक / संस्था / समूह कैप में पंजीकृत हो कलस्टर में सयंत्र / यंत्र उपकरण आदि क्षमतानुसार / आवश्यकतानुसार सगन्ध कृषित क्षेत्रफल हो।	कटाई / तुड़ाई उपरांत प्रसंस्करण हेतु किसान द्वारा सर्वप्रथम आसवन (प्रसंस्करण) संयंत्र स्थापना संबंधी आवेदन पत्र कैप वेबसाइट / फील्ड कार्मिक से प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ फोटो, भूमि अभिलेख / लीज संबंधी प्रमाण पत्र, कैप में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, आसवन संयंत्र का विवरण, देना होगा। कृषक / संस्था / समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र को निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र में जमा करेगा / फील्ड कार्मिक को देगा। उसके बाद जिला समन्वयक स्थलीय निरीक्षण करके संस्तुति प्रदान करता है तथा निरीक्षण के उपरांत संबंधित कृषक को आसवन संयंत्र स्थापना की अनुमति, निदेशक कैप द्वारा लिखित में दी जाती है तथा कृषक उसके बाद अपने आसवन संयत्र आदि की स्थापना कैप द्वारा अनुमति पत्र के साथ संलग्न विष्टियों के अनुसार स्वयं के व्यय पर करेगा। संयंत्र स्थापना के उपरांत राजसहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, जोकि कैप की वेबसाइट से / फील्ड कार्मिक से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल, कृषक फोटो, आसवन संयंत्र की फोटो, जमीन संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, के साथ मास्टर ट्रेनर / तकनीकी सहायक की संस्तुति सहित, निदेशक, कैप को देगा। उसके बाद निदेशक स्तर से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। समिति की रिपोर्ट एवं जिला समन्वयक की संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा एकमुश्त सब्सिडी का भुगतान किसान के खाते में किया जाता है।
7.	**गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट।**	कृषक को उसके उत्पाद / सगन्ध तेल के गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट। कृषकों को उनके तेल की गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर तेल का बाजार में उचित मूल्य मिलने में सहायता मिलती है।	सगन्ध खेती कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक द्वारा उत्पादित तेल का सेम्पल निर्धारित शुल्क सहित, कैप को उपलब्ध कराना होगा, जिसके परीक्षण उपरान्त कृशकों को गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक को सैम्पल के साथ कैप कार्यालय आना अनिवार्य है।